

नेशनल बाईसिकिल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम)

NATIONAL BICYCLE CORPORATION OF INDIA LIMITED

(A GOVT. OF INDIA UNDERTAKING)



४४ वी वार्षिक रिपोर्ट २०२४-२०२५

44TH ANNUAL REPORT 2024-2025



नॅशनल बाईसिकिल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

निदेशक मंडल

निदेशक गण :

श्री विनायक जोगलेकर	- अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
श्री अरुण कुमार दीवान	- निदेशक
श्री नरेश कुमार	- निदेशक

कानूनी लेखापरिक्षक :

मेसर्स भूषण खोत एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स,
बी-15, साई प्रसाद, टेली गली क्रॉस रोड,
अंधेरी (पूर्व), मुंबई 400069

बैंकर्स :

बैंक ऑफ बडौदा

पंजीकृत कार्यालय :

250, वरली,
पोस्ट प्रभादेवी,
मुंबई - 400 030

कारखाना :

वरली, मुंबई
हिन्दनगर, गाजियाबाद (उ.प्र.)



नॅशनल बाईसिकिल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

विषय सूची

नोटीस		3-4
निदेशक मंडल की रिपोर्ट		5-9
लेखापरिष्कारों की रिपोर्ट		11-23
भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां तुलनपत्र		24
तुलनपत्र		29
लाभ-हानी		30
हिस्से के रूप में अनुसूचियां		33-53



नॅशनल बाईसिकिल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

CIN: U35921MH1980GOI023354

Registered Office: 250, Worli, P.O.Prabhadevi, Mumbai – 400 030

Phone: 022 – 24934669

Website: www.nbcil.com, Email: nbcil.mumbai@gmail.com

सूचना

नोटिस इसके द्वारा दिया गया है कि एनबीसीआईएल के सदस्यों की ४४ वार्षिक आम बैठक शुक्रवार, 25.07.2025 @03.00 बजे ऑनलाइन आयोजित की जाएगी। यह नोटिस निम्नलिखित व्यवसाय को लेन -देन करने के लिए प्रस्तावित है :

साधारण व्यापार :

1. 31.03.2025 तक की लेखापरीक्षित बैलेंस शीट, उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए लाभ हानि विवरण, साथ ही निदेशक मंडल और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट प्राप्त करना, उन पर विचार करना और उन्हें अपनाना। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(बी) के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की टिप्पणियाँ 30.06.2025 को प्राप्त हुई।
2. निदेशक मंडल को वर्ष 2025-2026 के लिए लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक निर्धारण के लिए पराधिकृत करना।

निदेशक मंडल के आदेश से,

हस्ता/-

(विनायक भालचंद्र जोगलेकर)
अध्यक्ष

स्थान : मुंबई

दिनांक : 14.07.2025



नॅशनल बाईसिकिल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

नोट :

1. भाग लेने और बैठक में वोट के हकदार 1 एक सदस्य बजाय उस की बैठक में एक प्रॉक्सी या परदे के पीछे भाग लेने के लिए और वोट नियुक्त करने का हकदार है। उसे स्वयं और छद्म कंपनी के एक सदस्य होने की जरूरत नहीं।
2. प्रभावी होने के लिए अपने पंजीकृत कार्यालय में कंपनी के साथ दर्ज कराई जानी चाहिए।
3. जिस सदस्य को वित्तीय वर्ष 31 मार्च 2025 के लिए खातों की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं वार्षिक साधारण सभा के पहले लिखित रूप से दें।
4. सरकारी कंपनी के लेखा परीक्षकों की नियुक्ति भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) द्वारा की जाती है/की जाएगी और उनका पारिश्रमिक कंपनी द्वारा वार्षिक आम बैठक में तय किया जाता है। सामान्य बैठक सीएजी की सिफारिश के अनुसार वर्ष 2025-2026 के लिए लेखा परीक्षकों का उचित पारिश्रमिक तय करने के लिए बोर्ड को अधिकृत कर सकती है।
5. सदस्यों से अनुरोध है कि अपने वार्षिक प्रतिवेदन को बैठक की प्रतियाँ।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

हस्ता/-

विनायक भालचंद्र जोगलेकर
अध्यक्ष

स्थान : मुंबई

दिनांक : 14.07.2025

को:

- १) श्री नरेश कुमार, निदेशक (एमएचआई)
भारत के माननीय राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व करना
- २) श्री अरुण कुमार दीवान, निदेशक (एमएचआई)
नामांकित शेयरधारक
- ३) श्री कमल देव प्रसाद, अंडर सेक्रेटरी (एमएचआई)
नामांकित शेयरधारक
- ४) श्री विनायक भलचंद्र जोगलेकर, सीएमडी (एनबीसीआईएल)
नामांकित शेयरधारक



नॅशनल बाईसिकिल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

निदेशकों की रिपोर्ट

प्रिय शेयरधारको,

सज्जनो,

अपने निदेशकों की 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए खातों का लेखा परीक्षित विवरण के साथ एक साथ कंपनी की 44वीं वार्षिक रिपोर्ट पेश करने में खुशी हो रही है।

1. उत्पादन और ओपरेटिंग परिणाम :

(लाखों रुपये)

विवरण	चालु वर्ष 2024-2025	गत वर्ष 2023-2024
विक्री और अन्य लाभ	16.43	18.14
राजस्व व्यय	82.96	86.18
ब्याज और मुल्यत्तस से पहले	(66.53)	(68.04)
मुल्यत्तस	0.17	0.17
ब्याज	2090.56	2095.02
पूर्व वर्षों से संबंधित कर व्यय	35.52	-
शुद्ध लाभ / हानि	(2192.78)	(2163.23)

2. लाभांश भुगतान :

कंपनी और कंपनी द्वारा किए गए नुकसान के बंद को देखते हुए अपने बोर्ड पर चालू वर्ष के दौरान इक्विटी शेयरों पर कोई लाभांश की सिफारिश नहीं करता

3. उच्च न्यायालय के निर्णय का संदर्भ :

माननीय उच्चन्यायलय के आदेश दिनांक 19-12-2019 के द्वारा वी आई एफ आर का आदेश दिनांक 20.12.1993 केस नं.5, 1992 को वापिस लिया.



नॅशनल बाईसिकिल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

4. कंपनी के बंद :

कंपनी का संचालन बंद w.e.f 21/07/2001 श्रम मंत्रालय, श्रमशक्ति श्रमशक्तिभवन द्वारा दी गई अनुमति के अनुसार, नई दिल्ली को अपने पत्र सं एल 42024/6/2001 / आईआर(विविध) दिनांक 06/06/2001 खबरदार.

5. मानव स्रोतों :

कंपनी के रोल पर कोई कर्मचारी नहीं हैं।

6. ऊर्जा का संरक्षण, प्रौद्योगिकी का दुरुपयोग, विदेशी विनिमय कमाई और आउटगो :- :

यह प्रासंगिक नहीं है क्योंकि कंपनी के संचालन w.e.f. 21.07.2001. वित्तीय वर्ष 2024-2025 के दौरान, कोई विदेशी मुद्रा आय/व्यय नहीं था।

7. हिन्दी के उपयोग :

कंपनी का राजभाषा कार्यान्वयन के लिए बढावा प्रयास जारी रखा है।

8. जमा :

विचाराधीन वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी ने जनता से कोई जमा स्वीकार नहीं किया है।

9. वार्षिक रिटर्न :

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) के तहत आवश्यकतानुसार 31 मार्च, 2025 तक वार्षिक रिटर्न तैयार किया गया है।

10. निदेशकों या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति / इस्तीफा साल के दौरान :

वित्तीय वर्ष 2024-2025 के दौरान कोई बदलाव नहीं



नैशनल बाईसिकिल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

11. निदेशक मंडल की बैठक में निदेशकों की उपस्थिति :-

वित्तीय वर्ष 2024-2025 के दौरान आयोजित बोर्ड की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति के संबंध में विवरण इस प्रकार है :

क्रमांक	निदेशक का नाम	कार्यकाल (2024-2025) में के दौरान आयोजित	बोर्ड की बैठक की संख्या	वार्षिक बैठक में उपस्थित बोर्ड की बैठकों की संख्या (30.07.2024)
1	श्री अरुण कुमार दीवान	4	4 (30/05/24, 26/09/2024, 12/12/2024, 25/03/2025.)	भारत के राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित
2	श्री. नरेश कुमार	4	4 30/05/24, 26/09/2024, 12/12/2024, 25/03/2025)	उपस्थित
3	श्री. विनायक जोगलेकर	4	4 30/05/24, 26/09/2024, 12/12/2024, 25/03/2025	उपस्थित

12. निदेशकों का उत्तरदायित्व विवरण :

निदेशक के उत्तरदायित्व विवरण के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) के तहत आवश्यकता अनुसार, इसकी पुष्टि की जाती है :

- 31 मार्च 2025, को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक खातों की तैयारी के लिए, लागू लेखा मानकों का भौतिक प्रस्थान से संबंधित उचित स्पष्टीकरण के साथ पालन किया गया है।
- निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया था और उन्हें लगातार लागू किया था और निर्णय और अनुमान लगाए थे जो उचित और विवेकपूर्ण थे ताकि 31 मार्च 2025, को समाप्त वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के मामलों की स्थिति के बारे में सही और निष्पक्ष जानकारी दी जा सके। और उस अवधि के लिए कंपनी के लाभ और हानि का।
- निदेशकों ने कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान के अनुसार कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने के लिए पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड के रखरखाव का उचित और पर्याप्त ध्यान रखा था।
- यह कि निदेशकों ने वार्षिक लेखे गोइंग कंसर्न के आधार पर तैयार किए थे।
- निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक उचित प्रणाली तैयार की थी और ऐसी प्रणालियाँ पर्याप्त थीं और प्रभावी ढंग से काम कर रही थीं।

13. लेखा परीक्षक :

मेसर्स भूषण खोत एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, मुंबई को वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिए कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।



नॅशनल बाईसिकिल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

14. प्रत्येक योग्यता, आरक्षण पर बोर्ड द्वारा स्पष्टीकरण या टिप्पणी या लेखापरीक्षकों द्वारा उनकी रिपोर्ट में की गई प्रतिकूल टिप्पणी या अस्वीकरण :
बोर्ड आम तौर पर जारी चिंता के आधार पर वित्तीय विवरण तैयार करते समय नोट संख्या 2 में लेखा परीक्षकों द्वारा ध्यान आकर्षित करने के बारे में जानता है।
15. निर्धारित प्रपत्र में धारा 188(1) में उल्लिखित संबंधित पक्षों के साथ अनुबंध या व्यवस्था का विवरण :
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 (1) के तहत संबंधित पक्षों के साथ कोई अनुबंध या व्यवस्था नहीं है।
16. सामग्री में परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं, यदि कोई हों, जो कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करती हैं जो कंपनी के वित्तीय वर्ष के अंत और रिपोर्ट की तारीख के बीच हुई हैं।
दो तिथियों के बीच कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई भौतिक परिवर्तन नहीं हुए हैं जो रिपोर्ट करने योग्य हैं।
17. लागत रिकॉर्ड के रखरखाव के संबंध में प्रकटीकरण :
केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट लागत रिकॉर्ड का रखरखाव धारा 148 के तहत कंपनी अधिनियम, 2013 कंपनी पर लागू नहीं है।
18. कंपनी द्वारा अपनी कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पहलों पर विकसित और कार्यान्वित नीति का विवरण :
उक्त प्रावधान (सीएसआर के लिए) लागू नहीं हैं।
19. निदेशकों की नियुक्ति, पारिश्रमिक के भुगतान और उनके कर्तव्यों के निर्वहन से संबंधित कंपनी की नीति :
नामांकन और पारिश्रमिक समिति के गठन से संबंधित धारा 178 (1) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं और इसलिए कंपनी ने निदेशकों की नियुक्ति, प्रबंधकीय पारिश्रमिक का भुगतान, निदेशकों की योग्यता, सकारात्मक गुण, की स्वतंत्रता से संबंधित कोई नीति तैयार नहीं की है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 (3) के तहत प्रदान किए गए निदेशक और अन्य संबंधित मामले।
20. विनियम, न्यायालयों और न्यायाधिकरणों द्वारा पारित महत्वपूर्ण सामग्री आदेशों का विवरण :
नियामकों, अदालतों, या न्यायाधिकरणों द्वारा कोई महत्वपूर्ण और भौतिक आदेश पारित नहीं किया गया है, जो चल रही चिंता की स्थिति और भविष्य में कंपनी के संचालन को प्रभावित करता है।



नेशनल बाईसिकिल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

21. यौन उत्पीडन :

कंपनी के पेरोल पर कोई कर्मचारी नहीं है। ऐसा कोई मामला दर्ज / रिपोर्ट नहीं किया गया था।

22. दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2016 (2016 का 31) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष के अंत में उनकी स्थिति सहित वर्ष के दौरान लंबित कार्यवाही :

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2016 (2016 का 31) के तहत न तो कोई आवेदन किया गया है और न ही कोई कार्यवाहा

23. सचिवीय मानक :

कंपनी ने कंपनी के संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानकों का अनुपालन किया है। बोर्ड और कंपनी के सामान्य बैठकों के बारे में भारत के सचिव

24. पावती :

निदेशक केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों, विशेष रूप से भारी उद्योग मंत्रालय को उनके मार्गदर्शन और समर्थन के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं।

निदेशक भी C&AG, वैधानिक लेखा परीक्षकों, आंतरिक लेखा परीक्षकों और हमारे बैंकरों को उनके सहयोग और मार्गदर्शन के लिए आभार व्यक्त करते हैं।

निदेशक भी सभी संबंधितों द्वारा किए गए समर्पित प्रयासों के लिए अपनी प्रशंसा दर्ज करना चाहते हैं।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

हस्ता/-

विनायक भालचंद्र जोगलेकर

अध्यक्ष एरा प्रबंध निदेशक

डीन - 08442219

स्थान : मुंबई

दिनांक : 27th May, 2025



नॅशनल बाईसिकिल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

अनुपालना प्रमाण पत्र

हमने 31 मार्च, 2025 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए नॅशनल बाईसिकिल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का ऑडिट किया है, जो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (5) के अनुसार भारत के नियंत्रक और ऑडिटर जनरल द्वारा निर्देशों / उप निर्देशों के अनुसार है।

भूषण खोत एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफआर संख्या : 116888W

हस्ता/-

भूषण खोत
पार्टनर

एम. संख्या : 101858

दिनांक : 27.05.2025

स्थान : मुंबई

यूडीआईएन : 25101858BMLWMS6250



नेशनल बाइसिकल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

नेशनल बाइसिकल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के सदस्यों के लिए
वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

राय

हमने नेशनल बाइसाइकल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (“कंपनी”) के वित्तीय विवरणों का ऑडिट किया है, जिसमें 31 मार्च, 2025 को बैलेंस शीट, लाभ और हानि का विवरण और उस वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण शामिल हैं, जिसमें सामग्री लेखा नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी का सारांश शामिल है। (इसके बाद “स्वतंत्र वित्तीय विवरण” के रूप में संदर्भित)

हमारी राय में और हमारी जानकारी का सबसे अच्छा और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, पूर्वोक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, २०१३ द्वारा आवश्यक जानकारी देते हैं (“अधिनियम”) इस तरह से आवश्यक और कंपनियों के अनुरूप एक सच्चा और निष्पक्ष दृष्टिकोण दें (लेखांकन मानक) नियम, २०२१, (“के रूप में”) और अन्य लेखांकन सिद्धांत आम तौर पर स्वीकार किए जाते हैं भारत में ३१ मार्च, २०२५ को कंपनी के मामलों की स्थिति और इसके नुकसान और इसकी नकदी उस तिथि पर वर्ष के लिए प्रवाह समाप्त हो गया।

राय के लिए आधार

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट ऑडिटिंग (एसए) पर मानकों के अनुसार अपना ऑडिट किया। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को आगे हमारे वित्तीय विवरणों के ऑडिट के लिए ऑडिटर की जिम्मेदारी अनुभाग में वर्णित किया गया है।

रिपोर्ट हम भारत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी आचार संहिता के साथ-साथ उन नैतिक आवश्यकताओं के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैस जो कंपनी अधिनियम, 2013 और नियमों के प्रावधानों के तहत वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक हैं। और हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गए ऑडिट साक्ष्य हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

चिंता से संबंधित सामग्री अनिश्चितता

ध्यान नोट नं. २३ वित्तीय विवरण, जिसमें कहा गया है कि कंपनी के पास ३१ मार्च, २०२५ को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कुल २१९,२७८.०४ हजार रुपये का नुकसान हुआ। इसके अलावा, ३१ मार्च, २०२५ तक, कंपनी के संचित नुकसान की राशि कुल ७,४१७,८६०.१२ है। हजारों की संख्या में इसके शुद्ध मूल्य का क्षरण होता है।

ये परिस्थितियाँ एक भौतिक अनिश्चितता के अस्तित्व का संकेत देती हैं जो शायद महत्वपूर्ण संदेह उत्पन्न करे कंपनी की चिंता जारी रखने की क्षमता

नॅशनल बाईसिकिल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

हालांकि, जैसा कि कथित नोट में खुलासा किया गया है, प्रबंधन ने दर्शाया है कि कंपनी के पास अपने अल्पकालिक दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन हैं। इसके अतिरिक्त, कंपनी के पास उपलब्ध स्वतंत्र मूल्यांकन रिपोर्टों के आधार पर, गैर - चालू आस्तियों का वास्तविक मूल्य लेखा बहियों में अभिलिखित गैर-चालू देनदारियों की कुल राशि से अधिक है। तदनुसार, प्रबंधन द्वारा इन वित्तीय विवरणों को चिंता के आधार पर तैयार किया गया है। इस मामले में हमारी राय नहीं बदली है।

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले

मुख्य लेखापरीक्षा मामले वे मामले हैं जो हमारे पेशेवर निर्णय में, वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समग्र रूप से वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में और उस पर हमारी राय बनाने के संदर्भ में संबोधित किया गया था, और हम इन मामलों पर अलग राय प्रदान नहीं करते हैं।

वित्तीय विवरणों और उस पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के अलावा अन्य सूचना

कंपनी का प्रबंधन और निदेशक मंडल अन्य सूचनाओं के लिए जिम्मेदार हैं। अन्य जानकारी में कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में शामिल जानकारी शामिल है, लेकिन इसमें वित्तीय विवरण और हमारे लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट शामिल नहीं है। वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य जानकारी शामिल नहीं है और हम उस पर किसी भी प्रकार के आश्वासन निष्कर्ष को व्यक्त नहीं करते हैं।

वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी है कि हम अन्य सूचनाओं को पढ़ें और ऐसा करने में, इस बात पर विचार करें कि क्या अन्य जानकारी वित्तीय विवरणों के साथ भौतिक रूप से असंगत है या लेखापरीक्षा में प्राप्त हमारा ज्ञान, या अन्यथा भौतिक रूप से प्रतीत होता है गलत।

यदि, इस ऑडिटर की रिपोर्ट की तारीख से पहले प्राप्त की गई अन्य सूचनाओं पर हमने जो काम किया है, उसके आधार पर हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य जानकारी में कोई महत्वपूर्ण गलत विवरण है, तो हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करने की आवश्यकता है। हमारे पास इस संबंध में रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का निदेशक मंडल इन वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 134 (5) में बताए गए मामलों के लिए जिम्मेदार है, जो वित्तीय स्थिति का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं, कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों सहित भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी का वित्तीय प्रदर्शन और नकदी प्रवाह।

इस उत्तरदायित्व में कंपनी की संपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधान के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड का रखरखाव भी शामिल है; उपयुक्त लेखा नीतियों का चयन और अनुप्रयोग; ऐसे निर्णय और अनुमान लगाना जो उचित और विवेकपूर्ण हों; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, कि हम वित्तीय विवरणों की तैयारी और निष्पक्ष प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे हैं, जो एक सही और निष्पक्ष दृश्य देते हैं और इससे मुक्त हैं भौतिक गलतबयानी, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण। वित्तीय विवरणों को तैयार करने में, प्रबंधन कंपनी की एक चालू संस्था के रूप में जारी रहने की क्षमता का आकलन करने के लिए जिम्मेदार है, प्रकटीकरण, जैसा लागू हो, चल रही संस्था से संबंधित मामलों और लेखांकन

नॅशनल बाईसिकिल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

के चल रहे प्रतिष्ठान के आधार का उपयोग करने के लिए जब तक कि प्रबंधन या तो कंपनी को समाप्त करने या बंद करने का इरादा नहीं रखता है। संचालन, या ऐसा करने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प नहीं है। वे निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी जिम्मेदार हैं।

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारियां

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या वित्तीय विवरण समग्र से भौतिक मिथ्या विवरण से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, और एक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारी राय शामिल हो। उचित आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसएएस के अनुसार आयोजित एक ऑडिट हमेशा मौजूद होने पर एक महत्वपूर्ण गलत बयानी का पता लगाएगा। धोखाधड़ी या त्रुटि से गलत बयानी उत्पन्न हो सकती है और उन्हें महत्वपूर्ण माना जाता है, यदि व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उम्मीद की जा सकती है।

एसएएस के अनुसार एक ऑडिट के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे ऑडिट में पेशेवर संदेह बनाए रखते हैं। हम भी:

- वित्तीय विवरणों के भौतिक मिथ्या विवरण के जोखिमों के पहचान करना और उनका मूल्यांकन करना, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन और निष्पादित करना, और लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हो। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाली महत्वपूर्ण गलतबयानी का पता नहीं लगाने का जोकिम त्रुटि से उत्पन्न होने वाली गलतबयानी की तुलना में अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलतबयानी या आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना शामिल हो सकती है।
- परिस्थितियों में उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करें।
- उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरणों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करें।
- लेखांकन के चल रहे प्रतिष्ठान के आधार पर प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष और, प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर, क्या घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई सामग्री अनिश्चितता मौजूद है जो कंपनी की चालू संस्था के रूप में जारी रखने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि एक महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद, तो हमें अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरणों पर ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता है, या यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं, तो अपनी राय को संशोधित करने के लिए। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षक साक्ष्य पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य की घटनाओं या स्थितियों के कारण कंपनी चालू प्रतिष्ठान के रूप में जारी रहना बंद कर सकती है।



नॅशनल बाईसिकिल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

- प्रकटीकरण सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करें, और क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेन-देन और घटनाओं का इस तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं जो निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त करता है। हम अन्य मामलों के साथ-साथ लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे और समय और महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों के बारे में, आंतरिक नियंत्रण में किसी भी महत्वपूर्ण कमियों सहित, जिन्हें हम अपनी लेखापरीक्षा के दौरान पहचानते हैं, शासन से प्रभारित लोगों के साथ संवाद करते हैं। हम उन लोगों को एक बयान भी प्रदान करते हैं जो शासन के प्रभारी हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, और उनके साथ उन सभी संबंधों और अन्य मामलों के बारे में संवाद करने के लिए जो उचित रूप से हमारी स्वतंत्रता, और कहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपायों पर विचार कर सकते हैं।



नॅशनल बाईसिकिल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप-धारा (11) के संदर्भ में केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (ऑडिटर की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ("आर्डर") द्वारा आवश्यक के रूप में, हम देते हैं अनुबंध आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर एक बयान, लागू सीमा तक।
2. वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम के निम्नलिखित गैर-अनुपालन देखे गए :
 - कंपनी लिमिटेड कंपनी हेने के कारण वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम 2022 की धारा 3 और 3ए की आवश्यकता के अनुसार 7 (सात) शेयरधारक नहीं थे।
 - कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 177 के तहत कंपनी द्वारा ऑडिट कमेटी का गठन नहीं किया गया है।
२. अधिनियम की धारा 143 (3) की आवश्यकता के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि :
 - क) हमने वह सभी जानकारी और स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त किए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्यों के लिए आवश्यक थे।
 - ख) हमारी राय में जहां तक उन बहियों की हमारी जांच से प्रतीत होता है, कंपनी द्वारा कानून द्वारा अपेक्षित उचित लेखा बहियां रखी गई हैं।
 - ग) तुलन पत्र, लाभ-हानि विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण इस रिपोर्ट में लेखा पुस्तकों के अनुरूप है।
 - घ) हमारी राय में, उपरोक्त वित्तीय विवरण कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं।
 - ई) निदेशक मंडल द्वारा रिकॉर्ड में लिए गए 31 मार्च 2025 को निदेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन के आधार पर, 31 मार्च 2025 तक कोई भी निदेशक धारा 164 (2) के संदर्भ में निदेशक के रूप में नियुक्त होने से अयोग्य नहीं है। अधिनियम के।
 - च) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, "अनुलग्नक बी" में हमारी अलग रिपोर्ट देखें।
 - जी) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान अपने निदेशकों को कोई पारिश्रमिक का भुगतान/प्रदान नहीं किया जाता है, इसलिए यह खंड कंपनी पर लागू नहीं होता है।

नॅशनल बाईसिकिल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

ज) कंपनी (ऑडिट और ऑडिटर) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार ऑडिटर की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार :

- i. कंपनी ने नोट संख्या में लंबित मुकदमों के विवरण का खुलासा किया है। 22, हालांकि इसका वित्तीय प्रभाव प्रबंधन द्वारा निर्धारित/मात्रात्मक नहीं है।
 - ii. कंपनी के पास डेरिवेटिव अनुबंधों सहित लंबी अवधि के अनुबंधों पर कोई महत्वपूर्ण अनुमानित नुकसान नहीं था, जिसके लिए किसी भी कानून या लेखा मानकों के तहत प्रावधान की आवश्यकता होती है जिसके लिए कोई भौतिक अनुमानित नुकसान होता है ; तथा
 - iii. ऐसी कोई राशि नहीं थी जिसे कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में स्थानांतरित करने की आवश्यकता थी।
- iv.
- a. प्रबंधन ने हमें प्रतिनिधित्व किया है कि, खातों में नोटों में प्रकट किए गए के अलावा, इसके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अलावा, कोई भी धन उन्नत या ऋण या निवेश नहीं किया गया है (या तो उधार ली गई निधि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या प्रकार से) कंपनी द्वारा या किसी अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में, विदेशी संस्थाओं ("मध्यस्थों") सहित, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आधार देगा या निवेश करेगा। कंपनी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए व्यक्ति या संस्थाएं ("अंतिम लाभार्थी") या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह प्रदान करते हैं ;
 - b. प्रबंधन ने हमें प्रतिनिधित्व दिया है कि, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, खातों में नोटों में बताए गए के अलावा, कंपनी द्वारा किसी भी व्यक्ति (व्यक्तियों) या संस्था (यों) से कोई धन प्राप्त नहीं किया गया है, जिसमें विदेशी संस्थाएं भी शामिल हैं ("फंडिंग पार्टियां"), इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि कंपनी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, फंडिंग पार्टी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार देगी या निवेश करेगी ("अंतिम लाभार्थी") या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की अन्य चीजें प्रदान करें।
 - c. हमारे द्वारा की गई ऑडिट प्रक्रिया के आधार पर जो परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त मानी जाति है, हमारे ध्यान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें विश्वास हो कि उप-खंड (ए) और (बी) के तहत प्रबंधन द्वारा दिए गए प्रतिनिधित्व में कोई महत्वपूर्ण गलत विवरण शामिल है।
- v. कंपनी ने वर्ष के दौरान लाभांश की घोषणा या भुगतान नहीं किया है।
- vi. हमारी परीक्षा के आधार पर, कंपनी ने अपनी लेखा बहियों को बनाए रखने के लिए लेखा सॉफ्टवेयर का उपयोग किया है, जिनके पास ऑडिट ट्रेल (ईडीआईटी लॉग) सुविधा की रिकॉर्डिंग की सुविधा नहीं है और इस प्रकार ऑडिट ट्रेल फीचर को न तो पूरे वर्ष सक्षम और न ही संचालित किया गया था।
- (B). अधिनियम की धारा 143(5) के अनुपालन में और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालय द्वारा वर्ष के लिए जारी निर्देशों और उप निर्देशों के अनुपालन में ३१ मार्च, २०२५ को समाप्त कर दिया गया है, हम इस प्रकार रिपोर्ट करते हैं :



नॅशनल बाईसिकिल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

क्रमांक	कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(5) के तहत निर्देश	कार्रवाई की और वित्तीय प्रभाव
1	क्या कंपनी के पास सिस्टम है या नहीं इसके माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन की प्रक्रिया करें प्रणाली? यदि हाँ, तो प्रसंस्करण के निहितार्थ आईटी सिस्टम के बाहर लेखांकन लेनदेन वित्तीय के साथ खातों की अखंडता निहितार्थ, यदि कोई हो, कहा जा सकता है।	हां, कंपनी के पास सिस्टम है सभी लेखांकन लेनदेन की प्रक्रिया करें आईटी सिस्टम के माध्यम से, अर्थात् टैली को छोड़कर मूल्यहास और ऋण पर ब्याज के लिए जिनकी गणना एक्सेल और बाद में की जाती है टैली में दर्ज किया गया। परीक्षण जांच के आधार पर हमारे ऑडिट के दौरान हमारे द्वारा किया गया और सूचना और स्पष्टीकरण के आधार पर हमें देखते हुए, हम किसी भी तरह से नहीं आए हैं उदाहरण के लिए महत्वपूर्ण निहितार्थ खातों की अखंडता पर
2	चाहे किसी मौजूदा का पुनर्गठन हो ऋण या छुट के मामले ऋण/ऋण/लिखे/ ब्याज आदि एक ऋणदाता द्वारा कंपनी के कारण बनाया गया ऋण चुकाने में कंपनी की असमर्थता के लिए? यदि हां, वित्तीय प्रभाव कहा जा सकता है। क्या ऐसा है मामलों के लिए ठीक से हिसाब लगाया जाता है? (मामले में, ऋणदाता एक सरकारी कंपनी है, तो इसके निर्देश भी हैं ऋणदाता कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षक के लिए लागू)	किसी मौजूदा का पुनर्गठन नहीं हैं ऋण या मामले छुट / ऋण से बाहर लिखते हैं / ऋण / ब्याज आदि, ऋणदाता द्वारा बनाया गया वर्षा
3	क्या धन (अनुदान / सब्सिडी आदि) प्राप्त / केंद्रीय/ राज्य से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राय सरकार या उसकी एजेंसियों का ठीक से हिसाब लगाया गया था अपने शब्द और शर्तों के अनुसार / उपयोग के लिए? लिस्ट विचलन के मामले	दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार हमारे लिए कंपनी को कोई प्राप्त नहीं हुआ है फंड (अनुदान / सब्सिडी, आदि) प्राप्त / से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राय केंद्रीय राज्य सरकारें या उसकी एजेंसियां साल के दौरान

भूषण खोत एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफआर संख्या : 116888W

हस्ता/-
भूषण खोत
पार्टनर

एम. संख्या : 101858
दिनांक : 27.05.2025

स्थान : मुंबई
यूडीआईएन : 25101858BMLWMS6250

नॅशनल बाईसिकिल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

नेशनल साइकिल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के स्टैंडअलोन फाइनैशियल स्टेटमेंट्स पर इंडिपेंडेंट ऑडिटर की रिपोर्ट के लिए एनेक्सोर “ए” ३१ मार्च २०२५ को समाप्त वर्ष को लिमिटेड

(अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं के अनुभाग पर रिपोर्ट के तहत पैराग्राफ १ में संदर्भित हमारी तारीख की रिपोर्ट भी)

- I. a. (A) कंपनी ने संचालन के आकार और संपत्ति की प्रकृति के अनुसार उपलब्ध जानकारी के आधार पर मात्रात्मक विवरण और संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की स्थिति सहित पूर्ण विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है।
- (B) कंपनी के पास अमूर्त संपत्ति नहीं है, इसलिए आदेश के पैराग्राफ 3 के खंड (i) (बी) (बी) कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।
- b. जैसा कि हमें बताया गया है, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को प्रबंधन द्वारा चरणबद्ध तरीके से भौतिक रूप से सत्यापित किया गया है, जो कंपनी के आकार और इसकी संपत्ति की प्रकृति के संबंध में हमारी राय में उचित है। जैसा कि हमें सूचित किया गया है, ऐसे भौतिक सत्यापन में कोई महत्वपूर्ण विसंगतियां नहीं पाई गईं।
- c. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के रूप में प्रकट की गई अचल संपत्तियों के संबंध में हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण और हमारे द्वारा जांचे गए रिकॉर्ड के अनुसार (उन संपत्तियों के अलावा जहां कंपनी पट्टेदार है और पट्टा समझौते पट्टेदार के पक्ष में विधिवत निष्पादित हैं) वित्तीय विवरणों में कंपनी के नाम पर हैं।
- d. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण और हमारे द्वारा जांच की गई लेखा पुस्तकों और अभिलेखों के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण या अमूर्त संपत्ति या दोनों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।
- e. हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी परीक्षा के आधार पर, कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या कंपनी के खिलाफ बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, १९८८ के ४५ (१९८८ के ४५) के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति को धारण करने के लिए लंबित है और इसलिए कि क्लॉज ३(i) (ई) के प्रावधानों के तहत वहां किए गए नियम भी नहीं हैं।
- II a) चूंकि, कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी भी वस्तुसूची के साथ काम नहीं किया है, इसलिए आदेश के पैराग्राफ 3 का खंड (ii) (ए) कंपनी पर लागू नहीं होता है।
- b) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने वर्ष के दौरान किस भी समय, बैंकों या वित्तीय संस्थानों से, जो कि वर्तमान परिसंपत्तियों की सुरक्षा के आधार पर सुरक्षित हैं, से ५ करोड़ रुपये से अधिक की कार्यशील पूंजी सीमा को मंजूरी नहीं दी है। तदनुसार, ऑर्डर के क्लॉज ३(ग) (बी) का प्रावधान इसके लिए लागू नहीं है।
- III हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कोई भी निवेश नहीं किया है, कोई गारंटी या सुरक्षा प्रदान नहीं की है या वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या किसी अन्य पार्टियों को ऋण की प्रकृति, सुरक्षित या असुरक्षित, किसी भी ऋण या अग्रिम प्रदान की है। तदनुसार, खंड के प्रावधान ३ (iii) (ए), (बी), (सी), (डी), (ई) और (एफ) ऑर्डर कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।



नॅशनल बाईसिकिल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

- IV हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कोई भी ऋण नहीं दिया है या अधिनियम या कंपनी की धारा 9८५ के तहत निर्दिष्ट कोई गारंटी या सुरक्षा प्रदान की है और कंपनी अधिनियम २०१३ की धारा 9८६ के प्रावधानों के तहत कोई निवेश, गारंटी और सुरक्षा नहीं की है। तदनुसार, ऑर्डर का पैराग्राफ ३ (iv) कंपनी के लिए लागू नहीं है।
- V हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने किसी भी जमा या राशियों को स्वीकार नहीं किया है, जिन्हें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए निर्देशों के संदर्भ में वर्ष के दौरान जनता से जमा माना जाता है या प्रावधानों के प्रावधान धारा ७३ से ७६ या अधिनियम के किसी अन्य प्रासंगिक प्रावधानों और नियमों के तहत नियम। तदनुसार, आर्डर का पैराग्राफ ३(v) कंपनी पर लागू नहीं होता है।
- VI हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, केंद्र सरकार ने कंपनी द्वारा की गई गतिविधियों के संबंध में अधिनियम की धारा 148 की उप धारा (1) के तहत लागत रिकॉर्ड के रखरखाव को निर्धारित नहीं किया है।
- VII वैधानिक बकायों के संबंध में :
- a. हमारे द्वारा जांचे गए कंपनी के रिकॉर्ड के अनुसार, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों सहित अविवादित वैधानिक बकाया राशि और किसी भी अन्य भौतिक वैधानिक देय राशि को आमतौर पर उपयुक्त अधिकारियों के पास नियमित रूप से जमा किया गया है। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, उपरोक्त देय राशि के संबंध में कोई अविवादित राशि देय नहीं थी, जो 31 मार्च, 2024 तक देय होने की तारीख से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए बकाया थी।
- b. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, किसी भी विवाद के कारण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष करों का कोई बकाया नहीं है, जिसे जमा नहीं किया गया है।
- VIII हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण और प्रबंधन द्वारा हमें दिए गए अभ्यावेदन के अनुसार, वर्ष के दौरान आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर निर्धारण में आय के रूप में पहले से दर्ज न की गई आय से संबंधित कोई लेन-देन नहीं किया गया था या आय के रूप में प्रकट किया गया था।
- IXa. हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी किसी वित्तीय संस्थान, बैंक या डिबेंचर धारकों को देय राशि के पुनर्भुगतान में चूक नहीं की है। कंपनी ने कुल मिलाकर रु. 7168732.97 हजार 31 मार्च, 2024 तक केवल भारी उद्योग मंत्रालय भारत सरकार से, जिसमें ब्याज सहित मूलधन का पुनर्भुगतान भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई अधिस्थगन अवधि के तहत है और कंपनी की संपत्ति की बिक्री के साथ टैग किया गया है। तदनुसार, इसे डिफॉल्ट राशि के रूप में नहीं माना जाता है।
- b. हमारी राय में, और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या सरकार या किसी सरकारी प्राधिकरण द्वारा इरादतन चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।
- c. हमारे द्वारा जांचे गए खातों और अभिलेखों की पुस्तकों के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई नया सावधि ऋण प्राप्त नहीं किया है या कोई धन नहीं जुटाया है, ¹⁷ इसलिए पैराग्राफ के खंड (ix)(c)(d)(e) और (f) 3 कंपनी पर लागू नहीं है।

नॅशनल बाईसिकिल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

- d) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, और हमारे द्वारा की गई प्रक्रियाओं, और कंपनी के वित्तीय विवरणों की एक समग्र परीक्षा पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि कम अवधि के आधार पर उठाए गए कोई भी धन का उपयोग कंपनी द्वारा दीर्घकालिक उद्देश्यों के लिए नहीं किया गया है।
- e) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के वित्तीय विवरणों की समग्र परीक्षा पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने किसी भी संस्था या व्यक्ति से कोई धनराशि नहीं ली है, या इसके सहायक, सहयोगियों या संयुक्त उद्यमों के दायित्वों को पूरा करने के लिए।
- f) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, और हमारे द्वारा की गई प्रक्रियाओं के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों या सहयोगी कंपनियों में आयोजित प्रतिभूतियों की प्रतिभूति पर ऋण नहीं उठाया है।
- X a. कंपनी ने वर्ष के दौरान आंशिक सार्वजनिक प्रस्ताव या आगे के सार्वजनिक प्रस्ताव (ऋण उपकरणों सहित) के माध्यम से धन नहीं जुटाया है और इसलिए आदेश के पैराग्राफ 3 का खंड (x)(ए) कंपनी पर लागू नहीं होता है।
- b. कंपनी ने निजी प्लेसमेंट के आधार पर वर्ष के दौरान शेयरों के अधिमान्य आवंटन या पूर्ण या आंशिक रूप से या वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर द्वारा धन नहीं जुटाया है और इसलिए आदेश के पैराग्राफ 3 का खंड (x) (बी) कंपनी पर लागू नहीं होता है।
- XI a. वित्तीय विवरणों के सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण की रिपोर्ट करने के उद्देश से की गई लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी द्वारा या कंपनी पर कोई धोखाधड़ी नोटिस या रिपोर्ट नहीं की गई है। साल
- b. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा 12 के तहत कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 13 के तहत निर्धारित प्रपत्र ADT-4 में लेखापरीक्षकों द्वारा कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है। केंद्र सरकार, वर्ष के दौरान और इस रिपोर्ट की तारीख तक।
- c. जैसा कि प्रबंधन ने हमें बताया है, वर्ष के दौरान कंपनी को कोई किसिल ब्लोअर शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।
- XII हमारी राय में, कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है। इसलिए, आदेश के पैराग्राफ 3 के खंड (xii) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।
- XIII हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान संबंधित पक्षों के साथ कोई लेन-देन नहीं हुआ है, इसलिए, आदेश के अनुच्छेद 3 का खंड (xiii) (बी) कंपनी पर लागू नहीं होता है।
- XIV a. हमारी राय में, और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के पास अपने व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप एक आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली है।
- b. हमने लेखापरीक्षा अवधि के लिए आज तक जारी कंपनी की आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर विचार किया है।



नॅशनल बाईसिकल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

- XV प्रबंधन द्वारा प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने अधिनियम की धारा 192 में संदर्भित निदेशकों या उनसे जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर-नकदी लेनदेन नहीं किया है।
- XVI a. हमारी जानकारी के अनुसार और जैसा बताया गया है, कंपनी को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है।
- b. हमारी राय में, और हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, कंपनी ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 के अनुसार वर्ष के दौरान कोई गैर-बैंकिंग वित्तीय या आवास वित्त गतिविधियां संचालित नहीं की हैं।
- c. हमारी राय में, और हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी एक कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी (CIC) नहीं है, जैसा कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बनाए गए नियमों में परिभाषित किया गया है।
- d. हमारी राय में, और हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, समूह की कोई कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी (CIC) नहीं है।
- XVII हमारी राय में, और हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वित्तीय वर्ष में और ठीक पहले के वित्तीय वर्ष में नकद घाटा उठाया है।
- XVIII वर्ष के दौरान सांविधिक लेखापरीक्षकों का कोई त्यागपत्र नहीं दिया गया है। इसलिए, आदेश के पैराग्राफ 3 के खंड (xviii) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।
- XIX हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी को प्रदान किए गए ऋण पर भारत सरकार द्वारा प्रदान किए गए अधिस्थगन के आधार पर, उम्र बढ़ने और वित्तीय विवरणों के साथ अन्य जानकारी, निदेशक मंडल और प्रबंधन के बारे में हमारी जानकारी योजनाओं और मान्यताओं का समर्थन करने वाले साक्ष्य की हमारी जांच के आधार पर, हमारे ध्यान में कुछ भी नहीं आया है, जिससे हमें विश्वास हो जाता है कि ऑडिट रिपोर्ट की तारीख को कोई भी सामग्री अनिश्चितता मौजूद है, कंपनी अपनी मौजूदा देनदारियों को पूरा करने में सक्षम नहीं है। तुलन पत्र की तारीख, जब वे तुलन पत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय हों। हालांकि, हम कहते हैं कि यह कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन नहीं है। हम आगे कहते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग ऑडिट रिपोर्ट की तारीख तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि बैलेंस शीट की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर आने वाली सभी देनदारियों का भुगतान किया जाएगा। कंपनी के रूप में और जब वे देय होते हैं।
- XX हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार धारा 135 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं। इसलिए, अनुच्छेद 3 का खंड (xx) कंपनी पर लागू नहीं होता है।
- XXI कंपनी के पास सहायक, सहयोगी और संयुक्त उद्यम नहीं हैं। तदनुसार, ऑर्डर के क्लॉज (xxi) के तहत रिपोर्टिंग वर्ष के लिए लागू नहीं है।

भूषण खोत एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफआर संख्या : 116888W

हस्ता/-

भूषण खोत

पार्टनर

एम. संख्या : 101858

दिनांक : 27.05.2025

स्थान : मुंबई

यूडीआईएन : 25101858BMLWMS6250



नैशनल बाईसिकल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक बी हमारी सम दिनांक की रिपोर्ट के अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट शीर्षक के अंतर्गत पैरा 2 (एफ) में संदर्भित है।

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट।

हमने 31 मार्च 2025 तक नैशनल बाईसिकल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ("कंपनी") की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का लेखा-जोखा किया है, साथ ही उस वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों के हमारे लेखापरीक्षा के साथ।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का प्रबंधन संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) के इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो कंपनी की नीतियों के पालन, इसकी संपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पहचान सहित अपने व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे। लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता, और अधिनियम के तहत आवश्यक विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी।

लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारे ऑडिट के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर एक राय व्यक्त करना है। हमने अपनी लेखापरीक्षा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा ("मार्गदर्शन नोट") और लेखापरीक्षा पर मानकों के अनुसार की है, जिसे आईसीएआई द्वारा जारी किया गया है और अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत निर्धारित माना जाता है। आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर लागू सीमा तक, दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर लागू होती हैं और दोनों आईसीएआई द्वारा जारी की जाती हैं। उन मानकों और गाइडेंट नोट के लिए आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का पालन करें और इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए योजना बनाएं और ऑडिट करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया था और क्या ऐसे नियंत्रण सभी भौतिक मामलों में प्रभावी ढंग से संचालित होते हैं।

हमारे ऑडिट में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उनकी परिचालन प्रभावशीलता के बारे में ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाओं का निष्पादन शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, उस जोखिम का आकलन करना शामिल है जो एक भौतिक मौजूद है, और मूल्यांकन जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना। चुनी गई प्रक्रियाएँ लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों के भौतिक गलतबयानी के जोखिमों का आकलन शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

हमारा मानना है कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य पर्याप्त और उपयुक्त हैं।



नॅशनल बाईसिकल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो :

- 1) रिकॉर्ड के रखरखाव से संबंधित है, जो उचित विवरण में, कंपनी की संपत्ति के लेन-देन और स्वभाव को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाता है ;
- 2) उचित आश्वासन प्रदान करें कि आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी की अनुमति देने के लिए लेन-देन आवश्यक रूप से दर्ज किए जाते हैं, और कंपनी की प्राप्तियां और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार किए जा रहे हैं ; तथा
- 3) कंपनी की संपत्ति के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग, या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करें जो वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की निहित सीमाएँ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें मिलीभगत कि संभावना या नियंत्रणों के अनुचित प्रबंधन को ओवरराइड करना शामिल है, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण महत्वपूर्ण गलत विवरण हो सकते हैं और उनका पता नहीं लगाया जा सकता है। इसके अलावा, भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में बदलाव के कारण अपर्याप्त हो सकता है, या यह कि नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की डिग्री बिगड़ सकता है।

राय

हमारी राय में, व्यवसाय की प्रकृति, संचालन के आकार और इकाई की संगठनात्मक संरचना को ध्यान में रखते हुए, कंपनी के पास सभी भौतिक मामलों में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे। 31 मार्च 2025 को आईसीएआई द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर।

भूषण खोत एंड कंपनी के लिए

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

एफआर संख्या : 116888W

हस्ता/-

भूषण खोत

पार्टनर

एम. संख्या : 101858

दिनांक : 27.05.2025

स्थान : मुंबई

यूडीआईएन : 25101858BMLWMS6250



नॅशनल बाईसिकिल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

नॅशनल बाईसिकिल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (बी) के तहत भारत के कॉम्पट्रोलर और ऑडिटर जनरल की टिप्पणियाँ 31 मार्च 2025

नॅशनल बाईसिकिल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की तैयारी 31 मार्च 2025 को समाप्त हुई, जो कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अनुभाग के तहत भारत के नियंत्रक और ऑडिटर जनरल द्वारा नियुक्त वैधानिक लेखा परीक्षक अधिनियम का 139 (5) अधिनियम की धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार है, जो अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत निर्धारित ऑडिटिंग पर मानकों के अनुसार स्वतंत्र ऑडिट के आधार पर है। यह कहा गया है कि उनके द्वारा किया गया था उनकी ऑडिट रिपोर्ट दिनांक 27 मई 2025 को हुई।

मैं, भारत के नियंत्रक और ऑडिटर जनरल की ओर से, ने नॅशनल बाईसिकिल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के वित्तीय विवरणों के पूरक ऑडिट का संचालन नहीं किया है, जो कि अधिनियम की धारा 143 (6) (ए) के तहत 31 मार्च 2025 को समाप्त हुआ था।

के लिए और की ओर से
भारत के नियंत्रक और लेखा परीक्षक

हस्ता/-
(विजय एन कोठारी)
ऑडिट के प्रमुख निदेशक (शिपिंग), मुंबई

स्थान : मुंबई
दिनांक : 30.06.2025



नेशनल बाईसिकिल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

अनुसूची - 1

कम्पनी (कर्मचारी की विशिष्टियाँ) संशोधन अधिनियम 1988 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 217 (2ए) के उपबंध के अनुसरण में और 31 मार्च 2025 को समाप्त हुए वर्ष के लिए निदेशकों कि रिपोर्ट का हिस्सा बननेवाला कर्मचारियों के विशिष्टियों का विवरण.

नाम	पदनाम	आयु वर्ष	पारिश्रमिक रूपये	अहर्ता संख्या	अनुभव वर्ष की होने की तारीख	नियोजन शुरू और पदनाम	पिछला नियोजन संगठन का नाम
लागू नहीं							



नैशनल बाईसिकिल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

अनुसूची 2

कम्पनी (निदेशकों की रिपोर्ट में विशिष्टियों का प्रकटीकरण) नियम, 1988 जो निदेशकों को रिपोर्ट का भाग है, द्वारा अपेक्षित अतिरिक्त जानकारी

क. शक्ति का संरक्षण

क) शक्ति का संरक्षण के लिए किये गये उपाय :
कम्पनी सदैव शक्ति संरक्षण के प्रति सोचते रही है, शक्ति संरक्षण बनाने का वाछिंत कदम उठाया गया है।

ब) शक्ति के उपयोग में कमी लाने के लिए कोई अतिरिक्त निवेदन और प्रस्ताव काम में लाये गये है।

कुछ नहीं।

ग) उपरोक्त (क) (ख) के द्वारा किये गये उपायों की शक्ति उपयोग की कमी तथा उससे वस्तुओं के उत्पादन की लागत पर पड़ा हुआ प्रभाव।

लागू नहीं।

घ) शक्ति के कुल उपयोग एवं उत्पादन कि प्रति इकाई पर होने वाले शक्ति का उपयोग की जानकारी प्रस्तावित प्रारूप क में

लागू नहीं।

ख. तकनीकी अवशोषण :

क) विशेषक्षेत्र में कम्पनी द्वारा किए अनुसंधान एवं विकास के कार्य

लागू नहीं।

ख) उपरोक्त अनुसंधान एवं विकास के परिणामस्वरूप प्राप्त किये गये लाभ।

लागू नहीं।

ग) क्रियान्वयन की भावी योजना

लागू नहीं।

घ) अनुसंधान एवं विकास पर किया गया व्यय।

लागू नहीं।



नेशनल बाईसिकिल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

ग. विदेशी विनिमय एवं अर्जन एवं बहिर्गमन
ख) कुल विदेशी विनिमय उपयोग एवं अर्जन

चालू वर्ष
रूपये लाख में

गत वर्ष

1) आयात (कच्चे माल का सिआईएफ मूल्य) भंडार, कलपुर्जे
कोयला आदि

कुछ नहीं

कुछ नहीं

2) व्यय कुछ नहीं.

कुछ नहीं

कुछ नहीं

3) अर्जन

निर्यात के एक ओबी
मूल्य निर्यात के विलम्बित भुगतान
पर ब्याज

कुछ नहीं

कुछ नहीं



नॅशनल बाईसिकिल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

प्रारूप क शक्ति के संरक्षण के संबंधित विशिष्टय का प्रकटीकरण

क. शक्ति एवं इंधन का उपयोग

	चालू वर्ष	गत वर्ष
1. विद्युत		
क) क्रय	0.17	0.16
इकाई (कि. वा. लाखों में)		
कुल राशि (रु. लाखों में)	2.12	1.95
दर / इकाई रु.	12.25	12.19

2. बाष्प कोयला

मात्रा (टन)

कुल लागत

(लाख रु. में)

औसत दर

लागू नहीं

3. भट्टीका तेल

मात्रा (कि.)

कुल राशि

औसत दर

शून्य

शून्य

शून्य

शून्य

शून्य

शून्य

स्व उत्पादित

डिजल जनरेटर से इकाई

(लाखों में)

4. अन्य / अतिरिक्त उत्पादन

(कृपया विवरण दे)

मात्रा

लागू नहीं

लागू नहीं

कुल लागत

दर युनिट

डिजल तेल

लागत इकाई (रु.)

स्टीम से (के. वा.)

लागू नहीं

लाख में इंधन तेल के

प्रति लिटर इकाई / गैस

लागत / इकाई

ख. उत्पादन कि प्रति इकाई पर उपयोग :

स्तर (यदि कोई)

उत्पादन

(साईकिलों की संख्या)

विद्युत

भट्टी का तेल

बाष्प कोयला

शून्य

लागू नहीं

कुछ नहीं

लीटर/साई

लागू नहीं

शून्य

कुछ नहीं

लीटर/साई

लागू नहीं



नॅशनल बाईसिकिल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

31 मार्च 2025 का तुलन पत्र

(रु. हजारों की संख्या में)

विवरण		नोट संख्या	31 मार्च 2025 को		31 मार्च 2024 को	
अ.	मै.इक्विटी दायित्व					
1	शेअर धारक फंड					
	अ) शेयर पूँजी	3	56,545.82		56,545.82	
	ब) आरक्षितियाँ और अधिशेष	4	-74,17,860.12	-73,61,314.30	-71,98,582.09	-71,42,036.27
2	गैर चालू दायित्व					
	अ) दीर्घकालिक उधार	5		73,77,788.86		71,68,732.97
3	वर्तमान देनदारियाँ					
	(b) अन्य मौजूदा देनदारियों	6		7,419.45		7,419.45
	(c) अल्पकालिक प्रावधान	7		114.70		112.35
				7,534.15		7,531.80
	कुल			24,008.70		34,228.51
ब	सम्पत्ति					
1	गैर तात्कालिक परिसंपत्ति					
	(a) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्ति					
	(I) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	8	691.11		707.84	
	(b) गैर वर्तमान निवेश	9	1.06		1.06	
	(c) लंबी अवधि के ऋण और अग्रिम	10	420.99		420.99	
	(d) अन्य गैर वर्तमान संपत्तियाँ	11	93.18	1,206.34	93.18	1,223.07
2	वर्तमान संपत्ति					
	(a) नकद और बैंक शेष	12	21,766.50		28,726.68	
	(b) अल्पावधि ऋण और अग्रिम	13	37.60		33.97	
	(c) अन्य मौजूदा संपत्ति	14	998.27	22,802.37	4,244.78	33,005.43
	कुल			24,008.70		34,228.51
	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ	1&2				
	साथ के नोट्स इसका एक अभिन्न अंग हैं वित्तीय विवरण	1 to 29				

सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

भूषण खोत एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफआर संख्या : 116888W

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

हस्ता/-
भूषण खोत
पार्टनर

एम. संख्या : 101858
दिनांक : 27.05.2025
स्थान : मुंबई
यूडीआईएन : 25101858BMLWMS6250

हस्ता/-
(विनायक जोगलेकर)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीन - 08442219

हस्ता/-
(श्री अरुण कुमार दीवान)
निदेशक
डीन - 10170576

हस्ता/-
(नरेश कुमार)
निदेशक
डीन - 10043608



नॅशनल बाईसिकिल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

31 मार्च 2025 का लाभ / हानि

(रु. हजारों की संख्या में)

विवरण		नोट संख्या	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
A	सतत संचालन			
1	संचालन से राजस्व		-	-
2	अन्य कमाई	15	1,643.30	1,813.54
3	कुल मुनाफा		1,643.30	1,813.54
4	खर्च			
	(a) स्टॉक-इन-टेड की खरीद			
	(b) आविष्कारों में परिवर्तन			
	(c) मूल्यहास और परिशोधन व्यय		-	-
	(d) वित्त लागत	16	2,09,055.89	2,09,501.70
	(e) मूल्यहास और परिशोधन व्यय	8	16.74	16.74
	(f) अन्य खर्च	17	8,296.06	8,617.95
	कुल खर्च		2,17,368.68	2,18,136.39
5	लाभ / (हानि) पूर्व अवधि से पहले, असाधारण और असाधारण आइटम और कर		-2,15,725.39	-2,16,322.85
6	पूर्व अवधि आय / (व्यय)		-	-
7	असाधारण वस्तुएं		-	-
8	असाधारण वस्तुएँ			
9	कर से पहले लाभ / (हानि) (2-3)		-2,15,725.39	-2,16,322.85
10	कर खर्च :			
	(a) चालू वर्ष के लिए चालू कर व्यय		-	-
	(b) (कम) : MAT क्रेडिट (जहां लागू हो)			
	(c) वर्तमान कर व्यय पूर्व वर्षों से संबंधित है		3,552.65	-
	(d) शुद्ध वर्तमान कर व्यय			-
	(e) आस्थगित कर		3,552.65	-
11	निरंतर संचालन से लाभ / (हानि)		-2,19,278.03	-2,16,322.85
B	बंद संचालन			
C	कुल संचालन			
12	वर्ष के लिए लाभ / (हानि)		-2,19,278.03	-2,16,322.85
13	प्रत्येक शेयर से आय (रु.1000/- प्रत्येक)			
	(i) बुनियादी	18	-3,877.87	-3,825.61
	(ii) पतला	18	-3,877.87	-3,825.61
	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ	1&2		
	वित्तीय विवरणों के साथ लगे टिप्पणियों देखें	1 to 29		

सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

भूषण खोत एंड कंपनी के लिए

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

एफआर संख्या : 116888W

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

हस्ता/-

भूषण खोत

पार्टनर

एम. संख्या : 101858

दिनांक : 27.05.2025

स्थान : मुंबई

यूडीआईएन : 25101858BMLWMS6250

हस्ता/-

(विनायक जोगलेकर)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

हस्ता/-

(श्री अरुण कुमार दीवान)

निदेशक

हस्ता/-

(नरेश कुमार)

निदेशक



नैशनल बाईसिकिल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

(रु. हजारों की संख्या में)

नकदी प्रवाह विवरण वर्ष के लिए 31 मार्च, 2025 तक समाप्त हो गया :	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
ए. ऑपरेटिंग गतिविधियों से नकदी प्रवाह :		
कर, पूर्व अवधि आइटम्स और असाधारण वस्तुओं कर से पहले लाभ/हानि	-2,15,725.39	-2,16,322.85
पूर्व अवधि मदों के लिए समायोजन	-	-
गैर नकदी समायोजन निवल नकद प्रवाहों कोसे पहले लाभ सामंजस्य करने के लिए :		
मूल्यहास/परिशोधन	16.74	16.74
लौटाया जाता दायित्व अब लिखित वापस की आवश्यकता	-	-
लाभांश आय		0.16
व्याज व्यय	2,09,055.89	2,09,501.70
विविध शेष वापस लिखे गए	-	-
व्याज आय	-1,643.30	-1,813.38
कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पहले संचालन लाभ	-8,296.06	-8,617.95
संचालन में कार्यशील पूंजी :		
व्यापार देनदारियां और अन्य वर्तमान देनदारियों में वृद्धि/(कमी)		
प्रावधानों में वृद्धि/(कमी)		
व्यापार प्राप्तियों में कमी/(वृद्धि)	- 2.35	-210.18
सूची में कमी/(वृद्धि)	-153.79	-163.08
ऋण और अग्रिम और अन्य परिसंपत्तियों में कमी/(वृद्धि)	-8,447.50	-8,991.21
(में प्रयुक्त) संचालन से उत्पन्न नकदी	-130.09	-136.31
प्रत्यक्ष करों का भुगतान		
ऑपरेटिंग गतिविधियों से नेट नकद प्रवाह (ए)	-8,577.59	-9,127.52
बी निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह :		
प्राप्त व्याज	1,617.41	1,801.21
निवेश गतिविधियों में इस्तेमाल शुद्ध नकदी प्रवाह (बी)	1,617.41	1,801.21
सी वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह :		
लाभांश भुगतान किया (लाभांश वितरण कर सहित)	-	0.16
वित्तीय गतिविधियों में इस्तेमाल शुद्ध नकदी प्रवाह (सी)	-	0.16
नकद और नकद समकक्ष में शुद्ध वृद्धि / कमी (ए +बी +सी)	-6,960.19	-7,326.15
नकद और नकद समकक्ष (अथ शेष)	28,726.68	36,052.83
	21,766.50	28,726.68
नकद और नकद समकक्ष के रूप में वर्ष के अंत में निम्न शामिल हैं :		
चालू खाते में बैंकों के साथ शेष राशि	367.68	312.47
बैंक जमा	21,397.91	28,397.91
नकद रूपया	0.91	16.30
नकद और नकद समकक्ष (समापन शेष राशि)	21,766.50	28,726.68
नोट :		
उपरोक्त बयान के नकदी प्रवाह के तहत 'अप्रत्यक्ष लेखांकन मानक 3 में (AS-3), “नकद प्रवाह विवरण” बाहर सेट विधि के रूप में तैयार किया गया है।		
सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार		
भूषण खोत एंड कंपनी के लिए	कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से	
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स		
एफआर संख्या : 116888W		
हस्ता/-	हस्ता/-	हस्ता/-
भूषण खोत	हस्ता/-	हस्ता/-
पार्टनर	(विनायक जोगलेकर)	(श्री अरुण कुमार दीवान)
एम. संख्या : 101858	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	निदेशक
दिनांक : 27.05.2025		
स्थान : मुंबई		
यूडीआईएन : 25101858BMLWMS6250		



नॅशनल बाईसिकिल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

नोट्स वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनते हैं

नोट	विवरण
1	कॉर्पोरेट जानकारी नॅशनल बाईसिकिल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (भारत सरकार का एक उपक्रम) भारत में अधिवासित एक सीमित कंपनी है और इसके प्रावधानों के तहत निगमित है कंपनी अधिनियम 1956।
2	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां :- नॅशनल बाईसिकिल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (भारत सरकार का एक उपक्रम) भारत में अधिवासित एक सीमित कंपनी है और इसके प्रावधानों के तहत निगमित है कंपनी अधिनियम 1956।
2.1	लेखांकन और वित्तीय विवरणों की तैयारी का आधार कंपनी के वित्तीय विवरण भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेका सिद्धांतों (भारतीय जीएएपी) के अनुपालन के लिए तैयार किए गए हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखा मानक और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 और 133 के संदर्भ में, और नियम 7 के साथ पढ़ें भारत के कंपनी (लेखा)नियम 2014। वित्तीय विवरणों की तैयारी में अपनाई गई लेखांकन नीतियां वित्तीय विवरणों में अपनाई गई नीतियों के अनुरूप हैं पिछले वर्ष।
2.2	अनुमानों का उपयोग भारतीय जीएएपी के अनुरूप वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रबंधन अनुमान और मान्यताओं को बनाने के लिए प्रबंधन की आवश्यकता होती है यह राजस्व, व्यय, संपत्ति और देनदारियों की कथित मात्रा को प्रभावित करता है, और साथ में खुलासे, और आकस्मिक देनदारियों के प्रकटीकरण को प्रभावित करता है। इन मान्यताओं और अनुमानों के बारे में अनिश्चितता के परिणामस्वरूप ऐसे परिणाम हो सकते हैं जिनके लिए एक सामग्री समायोजन की आवश्यकता होती है जो संपत्ति या देनदारियों की राशि ले जाती है भविष्य की अवधि में प्रभावित। अनुमान और निर्णय लगातार मूल्यांकन किए जाते हैं और ऐतिहासिक अनुभव और अन्य कारकों पर आधारित होते हैं, जिनमें शामिल हैं भविष्य की घटनाओं की अपेक्षाएं जिन्हें परिस्थितियों में उचित माना जाता है। अनुमान और अंतर्निहित मान्यताओं की समीक्षा निरंतर आधार पर की जाती है। लेखांकन अनुमानों के संशोधन को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें अनुमान को संशोधित किया जाता है यदि संशोधन केवल उस अवधि को प्रभावित करता है, या संशोधन और भविष्य की अवधि की अवधि में, यदि संशोधन वर्तमान और भविष्य की अवधि को प्रभावित करता है। अनुमानों में संशोधन वित्तीय विवरणों में उस अवधि में परिलक्षित होते हैं जिसमें परिवर्तन किए जाते हैं और यदि सामग्री, उनके प्रभावों का खुलासा नाटों में वित्तीय विवरणों के लिए किया जाता है। रिपोर्टिंग तिथि पर भविष्य और अनुमान अनिश्चितता के अन्य प्रमुख स्रोतों से संबंधित प्रमुख धारणाएं, जिनमें अगले वित्तीय वर्ष के भीतर परिसंपत्तियों और देनदारियों की राशि के लिए एक सामग्री समायोजन का कारण होने का एक महत्वपूर्ण जोखिम है, नीचे वर्णित हैं। भविष्य के विकास के बारे में मौजूदा परिस्थितियां और धारणाएं बाजार में बदलाव या परिस्थितियों के कारण बदल सकती हैं जो कंपनी के नियंत्रण से परे हैं। इस तरह के परिवर्तन होने पर मान्यताओं में परिलक्षित होते हैं।
2.3	संपत्ति संयंत्र और उपकरण, मूल्यहास और परिशोधन
A	स्वामित्व वाली आस्तियां संपत्ति संयंत्र और उपकरण, फ्रीहोल्ड भूमि के अलावा, संचित मूल्यहास के अधिग्रहण लागत जाल पर कहा जाता है और यदि कोई हो तो संचित हानि हानि। संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के अधिग्रहण या निर्माण की लागत में इसकी खरीद मूल्य शामिल है, जिसमें आयात कर्तव्यों और गैर-वापसी योग्य खरीद करों का व्यापार छुट, छुट और इसके इच्छित उपयोग के लिए आइटम को अपनी कामकाजी स्थिति में लाने की किसी भी प्रत्यक्ष लागत शामिल है। फ्रीहोल्ड लैंड यदि किसी को ऐतिहासिक लागत पर ले जाया जाता है तो किसी भी संचित हानि के नुकसान को कम किया जाता है और इसे मूल्यहास नहीं किया जाता है। बाद की लागतों को एसेट की वहन राशि में शामिल किया जाता है या एक अलग संपत्ति के रूप में मान्यता प्राप्त है, उचित रूप से, केवल जब यह संभावित है कि आइटम से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को प्रवाहित करेंगे और आइटम की लागत को



नॅशनल बाईसिकिल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

मज़बूती से मापा जा सकता है। अन्य सभी मरम्मत और रखरखाव लागत को उस अवधि के दौरान लाभ और हानि के स्टैंडअलोन स्टेटमेंट के लिए चार्ज किया जाता है जिसमें वे खर्च होते हैं।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के सेवानिवृत्ति या निपटान पर उत्पन्न होने वाले लाभ या हानि को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

मूल्यहास :

मूल्यहास की गणना कंपनी अधिनियम, २०१३ के अनुसूची III के तहत निर्धारित अनुमानित उपयोगी जीवन के आधार पर सीधी रेखा विधि पर प्रो राता आधार पर की जाती है। फ्रीहोल्ड लैंड को मूल्यहास नहीं किया गया है।

अवशिष्ट मूल्यों, उपयोगी जीवन और संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के मूल्यहास की विधि की समीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में की जाती है और यदि उपयुक्त हो, तो संभावित रूप से समायोजित किया जाता है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के प्रमुख घटकों का उपयोगी जीवन इस प्रकार है :

संपत्ति, उपयोगी जीवन

इमारत	६० वर्ष
फ़र्निचर एवं फिक्सचर	१० वर्ष
कार्यालय उपकरण	३-५ वर्ष

कंपनी ने अपनी किसी भी संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

B पट्टे पर दी गई संपत्ति

कंपनी की पट्टे पर दी गई संपत्ति में मुख्य रूप से लीजहोल्ड भूमि शामिल है। इन परिसंपत्तियों को पट्टे से शुरू होने वाली सीधी-रेखा के आधार पर मूल्यहास किया जाता है अंतर्निहित परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन से अधिक तिथि शुरू करें। लीजहोल्ड भूमि को ९० वर्षों के लीज अवधि में सालाना परिशोधन किया जाता है।

हानि :

हानि के लिए मूल्यांकन प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर किया जाता है कि क्या कोई संकेत है कि एक संपत्ति, इन्वेंट्री और आस्थगित कर के अलावा, बिगड़ा हो सकता है। अनिश्चित जीवन अमूर्त संपत्ति और सद्भावना सालाना या अधिक बार हानि के लिए समीक्षा के अधीन हैं यदि घटनाओं या परिस्थितियों से संकेत मिलता है कि यह आवश्यक है।

यदि हानि का कोई संकेत मौजूद है, तो संपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाया जाता है। परिसंपत्ति जिसका वहन मूल्य उनकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाता है, लाभ और हानि के विवरण में एक खर्च के रूप में हानि को पहचानकर वसूली योग्य राशि के लिए लिखा जाता है।

मूल्यांकन प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर भी किया जाता है कि क्या कोई संकेत है कि पूर्व लेखांकन अवधि में किसी संपत्ति के लिए मान्यता प्राप्त हानि हानि अब मौजूद नहीं हो सकती है या कम हो सकती है। मूल्यांकन के आधार पर, सद्भावना के अलावा किसी अन्य परिसंपत्ति के लिए हानि हानि का एक उलटा लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त है

वित्त वर्ष 2024-25 (वित्त वर्ष 2023-24 : NIL) में किसी भी हानि की पहचान नहीं की गई थी।

2.4 निवेश

दीर्घकालिक निवेश को प्रारंभिक मान्यता पर लागत पर मापा जाता है। कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर अपने दीर्घकालिक निवेश की वहन राशि की समीक्षा करती है, या इससे पहले जब हानि के संकेतक की पहचान की जाती है। एक हानि हानि को मान्यता दी जाती है यदि किसी निवेश की वसूली योग्य राशि उसकी वहन राशि से कम है।

2.5 वर्तमान संपत्ति

वर्तमान परिसंपत्तियों में ऐसी परिसंपत्तियां शामिल हैं, जिनके बारे में अपेक्षित होने की उम्मीद है, या बिक्री या खपत के लिए, व्यवसाय के सामान्य परिचालन चक्र में, आमतौर पर रिपोर्टिंग तिथि से बारह महीनों के भीतर। इन्हें 9 और प्रासंगिक मानकों में निर्धारित सिद्धांतों के बाद, उनकी प्रकृति और अपेक्षित प्राप्ति के अनुसार वर्गीकृत और मापा जाता है।



नैशनल बाईसिकिल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

2.6 नकद और नकद के समान

बैंकों में और हाथ पर बैलेस शीट कैश में नकद और नकद, तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता के साथ अल्पकालिक जमा और तरल म्यूचुअल फंड में निवेश जो आसानी से नकदी की ज्ञात राशि के लिए परिवर्तनीय होते हैं और मूल्य में परिवर्तन के एक महत्वहीन जोखिम के अधीन होते हैं।

2.7 प्रीपेड खर्च

प्रीपेड खर्चों को वर्तमान परिसंपत्तियों के रूप में मान्यता दी जाती है और भविष्य की अवधि में प्राप्त होने वाली वस्तुओं या सेवाओं के लिए अग्रिम में किए गए भुगतान का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये उस अवधि में एक व्यवस्थित आधार पर बाहर किए जाते हैं, जिस पर वे संबंधित होते हैं, लेखांकन के आधार के अनुसार 9- लेखांकन नीतियों के प्रकटीकरण के रूप में निर्धारित किया जाता है।

2.8 वर्तमान देनदारियां

वर्तमान देनदारियां कंपनी के सामान्य परिचालन चक्र के भीतर या रिपोर्टिंग तिथि से बारह महीने के भीतर बसे होने की अपेक्षा की जाने वाली दायित्वों का प्रतिनिधित्व करती हैं। इनमें व्यापार भुगतान, अल्पकालिक उधार, दीर्घकालिक ऋण के वर्तमान हिस्से और अन्य समान दायित्व शामिल हैं। वर्तमान देनदारियों को उनके निपटान मूल्य पर 9 और अन्य लागू लेखांकन मानकों के अनुसार मान्यता दी जाती है।

2.9 ऋण और उधार :

ऋण और उधार प्राप्त आय की राशि पर पहचाने जाते हैं, सीधे जिम्मेदार लेनदेन लागत का जाल।

3.0 उधार लेने की लागत :

उधार लेने की लागत में ब्याज व्यय, छुट का परिशोधन, विदेशी मुद्रा उधार के संबंध में हेज से संबंधित लागत, धनराशि और विनिमय अंतर के उधार के संबंध में की गई सहायक लागत शामिल है, विदेशी मुद्रा उधार से उत्पन्न होने वाली सीमा तक वे ब्याज लागत के समायोजन के रूप में माना जाता है।

उधार लेने की लागत, जो कि क्वालीफाइंग संपत्ति के अधिग्रहण या निर्माण या उत्पादन के लिए जिम्मेदार हैं, ऐसी संपत्ति की लागत के हिस्से के रूप में पूंजीकृत हैं जब तक कि संपत्ति अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार न हो जाए। एक योग्यता संपत्ति एक ऐसी संपत्ति है जो आवश्यक रूप से अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार होने में पर्याप्त समय लेती है। अन्य सभी उधार लेने की लागत उस अवधि में एक खर्च के रूप में मान्यता प्राप्त होती है जिसमें वे खर्च होते हैं।

योग्य संपत्ति पर उनके खर्च को लंबित विशिष्ट उधारों के अस्थायी निवेश पर अर्जित निवेश आय पूंजीकरण के लिए योग्य उधार लागतों से कटौती की जाती है। अन्य सभी उधार लेने की लागत को उस अवधि में लाभ और हानि के बयान में मान्यता दी जाती है जिसमें वे खर्च होते हैं।

3.1 कर लगाना

कर व्यय में वर्तमान आयकर और आस्थगित आयकर शामिल हैं और इसमें वर्तमान और / या आस्थगित कर समायोजन में पिछले अवधियों से संबंधित किसी भी समायोजन शामिल हैं जो प्रासंगिक अवधि के दौरान कुछ विकास या समीक्षाओं के कारण आवश्यक हो सकते हैं

I चालू आयकर

वर्तमान आयकर परिसंपत्तियों और देनदारियों को कराधान अधिकारियों को प्राप्त या भुगतान की जाने वाली राशि पर मापा जाता है। राशि की गणना करने के लिए उपयोग की जाने वाली कर दरों और कर कानून वे हैं जो उन देशों में रिपोर्टिंग तिथि पर अधिनियमित या पर्याप्त रूप से अधिनियमित किए जाते हैं, जहां कंपनी कर योग्य आय का संचालन करती है और उत्पन्न करती है। लाभ और हानि के विवरण के बाहर मान्यता प्राप्त वस्तुओं से संबंधित वर्तमान आयकर है अंतर्निहित लेनदेन के लिए

नॅशनल बाईसिकिल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

सहसंबंध में या तो ओसीआई में या सीधे इक्विटी में मान्यता प्राप्त है। प्रबंधन समय-समय पर कर में लिए गए पदों का मूल्यांकन करता है उन स्थितियों के संबंध में रिटर्न जिसमें लागू कर नियम व्याख्या के अधीन हैं और जहां उपयुक्त हो, व्यय को मान्यता दें। वर्तमान कर परिसंपत्तियों और वर्तमान कर देनदारियों को ऑफसेट किया जाता है जब मान्यता प्राप्त राशियों को निर्धारित करने के लिए कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार होता है और संपत्ति और देयता को शुद्ध आधार पर निपटाने का इरादा होता है।

II आस्थगित कर

रिपोर्टिंग तिथि पर वित्तीय रिपोर्टिंग उद्देश्यों के लिए परिसंपत्तियों और देनदारियों के कर ठिकानों और उनकी वहन राशि के बीच आस्थायी अंतर पर देयता विधि का उपयोग करके आस्थगित कर प्रदान किया जाता है।

आस्थगित कर देनदारियों को सभी कर योग्य आस्थायी मतभेदों के लिए मान्यता दी जाती है, आस्थगित कर परिसंपत्तियों को सभी कटौती योग्य आस्थायी मतभेदों के लिए मान्यता दी जाती है, अप्रयुक्त कर क्रेडिट और किसी भी अप्रयुक्त कर हानि के लिए आगे बढ़ते हैं। आस्थगित कर परिसंपत्तियों को केवल इस हद तक मान्यता दी जाती है कि यह संभावना है कि भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध होगी जिसके खिलाफ ऐसी आस्थगित कर परिसंपत्तियों को महसूस किया जा सकता है, सिवाय:

प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर आस्थगित कर परिसंपत्तियों की वहन राशि की समीक्षा की जाती है। कंपनी एक आस्थगित कर परिसंपत्ति की वहन राशि को इस हद तक लिखती है कि अब यह संभव नहीं है कि भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध होगी जिसके खिलाफ आस्थगित कर संपत्ति का एहसास किया जा सकता है। इस तरह के किसी भी लेखन को इस हद तक उलट दिया जाता है कि यह यथोचित रूप से निश्चित हो जाता है कि भविष्य की कर योग्य आय उपलब्ध होगी। कर संपत्ति और देनदारियों को उन कर दरों के आधार पर मापा जाता है, जो उस वर्ष में लागू होने की उम्मीद की जाती हैं, जब संपत्ति का एहसास होता है या देयता. कर दरों (और कर कानूनों) के आधार पर, जो कि रिपोर्टिंग डेट पर अधिनियमित या पर्याप्त रूप से संलग्न की गई है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों को ऑफसेट किया जाता है जब वर्तमान कर परिसंपत्तियों और देनदारियों को ऑफसेट करने के लिए कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार होता है और जब आस्थगित कर शेष समान कारधान प्राधिकरण से संबंधित होता है।

हालांकि, पर्याप्त भविष्य की कर योग्य आय की उचित निश्चितता की अनुपस्थिति में, आस्थगित कर परिसंपत्तियों को मान्यता प्राप्त नहीं है, विवेक के सिद्धांतों के अनुसार, लेखांकन मानक में निर्धारित किया गया है (एएस) २२ करों के लिए लेखांकन

3.2 प्रति शेयर आय

प्रति शेयर बुनियादी आय की गणना अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या द्वारा इक्विटी शेयरधारकों के लिए जिम्मेदार अवधि के लिए शुद्ध लाभ या हानि को विभाजित करके की जाती है।

प्रति शेयर पतला आय को लाभांश, ब्याज और अन्य शुल्कों के लिए समायोजित कर के बाद कर के बाद लाभ को विभाजित करके गणना की जाती है (किसी भी जिम्मेदार करों का शुद्ध), पतला संभावित इक्विटी शेयरों से संबंधित, प्रति शेयर बुनियादी आय प्राप्त करने के लिए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या द्वारा, जो सभी डिफ़्यूलेट इक्विटी शेयरों के रूपांतरण के लिए माना जा सकता है।

3.3 राजस्व मान्यता

राजस्व को मान्यता दी जाती है जब इसके अंतिम संग्रह की उचित निश्चितता होती है और यह लेखांकन मानक (एएस) 9 - राजस्व मान्यता के अनुसार मज़बूती से औसत दर्जे का होता है। माल की बिक्री से राजस्व को तब मान्यता दी जाती है जब महत्वपूर्ण जोखिम और स्वामित्व के पुरस्कार खरीदार को स्थानांतरित किए जाते हैं और विचार की मात्रा या इसके संग्रह के बारे में कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद नहीं है।

I. ब्याज आय

ब्याज आय को मान्यता दी जाती है जब यह संभावना है कि आर्थिक लाभ कंपनी को प्रवाहित होगा और आय की मात्रा को मज़बूती से मापा जा सकता है।

II. लाभांश आय

लाभांश आय को मान्यता दी जाती है जब भुगतान प्राप्त करने का अधिकार स्थापित किया जाता है, अर्थात्, जब निवेश कंपनी लाभांश की घोषणा करती है और यह संभावना है कि आर्थिक लाभ कंपनी को प्रवाहित होगा



नॅशनल बाईसिकिल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

वित्तीय लेखों की बनने वाले नोट्स

नोट 3 : शेअर पूंजी

(रु. हजारों की संख्या में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को		31 मार्च, 2024 को	
	शेअर की संख्या	रुपये	शेअर की संख्या	रुपये
क) प्रधिकृत रु.1,000/- इक्विटी प्रत्येक मत देने के अधिकार	80,000	80,000.00	80,000	80,000.00
ब) अभिदल और प्रकल्प इक्विटी शेअर प्रत्येक रु 1000/- का मत देने का अधिकार	56,545	56,545.00	56,545	56,545.00
ग) अभिदत्त अंशत चुकता प्रत्येक शेअर रु 1000/- का मत देने का अधिकार रु 179 चुकता नहीं है.	1	0.82	1	0.82
कुल	56,546	56,546	56,546	56,546



नॅशनल बाईसिकिल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

वित्तीय लेखों की बनने वाले नोट्स			
नोट 3 : शेअर पूंजी (सतत)			(रु. हजारों की संख्या में)
विवरण			
नोट : अवधि के प्रारंभ और अंत पर बकाया शेअरों की संख्या का समाधानी			
विवरण	प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान परिवर्तन	अन्तिम शेष
31 मार्च 2025 को इक्विटी शेयर मत अधिकार			
- शेयर की संख्या	56,546	-	56,546
- धनराशी	56,545.82	-	56,545.82
31 मार्च 2024 को इक्विटी शेयर मत अधिकार			
- शेयर की संख्या	56,546	-	56,546
- धनराशी	56,545.82	-	56,545.82

ब - इक्विटी शेयर के साथ संलग्न कायदे / अधिकार कम्पनी के पास केवल एक प्रकार का इक्विटी शेयर है। प्रत्येक शेयर की कीमत रु. 1000/- है। प्रत्येक शेयर धारकों को एक मत प्रतिशेयर देने का अधिकार है।

कंपनी के परिसमापन की स्थिति में, इक्विटी शेयरों का धारक सभी अधिमन्य राशियों के वितरण के बाद कंपनी की शेष आस्तियों को प्राप्त करने के हकदार होंगे। वितरण शेयरधारकों द्वारा आयोजित इक्विटी शेयरों की संख्या के अनुपात में होगा।



नॅशनल बाईसिकिल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

वित्तीय लेखों की बनने वाले नोट्स

नोट 3 : शेअर पूंजी (सतत)

(रु. हजारों की संख्या में)

विवरण				
नोट्स : प्रत्येक शेयर धारक का विवरण जिनके पास 5% शेयर से अधिक है।				
शेयर वर्ग/शेयर धारकों के नाम	31 मार्च 2025 को		31 मार्च 2024 को	
	आरक्षित शेयर की संख्या	% शेयर धारकों का अधिकार	आरक्षित शेयर की संख्या	% शेयर धारकों का अधिकार
मतदान के अधिकार के साथ इक्विटी शेयर				
भारत के माननीय राष्ट्रपति (भारत सरकार की ओर से) [#]				
पूरी तरह से भुगतान किया गया	56,545	100.00%	56,545	100.00%
आंशिक रूप से भुगतान किया गया	1	0.00%	1	0.00%
संपूर्ण	56,546	100.00%	56,546	100.00%

शामिल हैं - नामांकित शेयरधारकों द्वारा धारित 3 (तीन) इक्विटी शेयर और 1 (एक) आंशिक रूप से भुगतान किया गया शेयर शामिल है



नॅशनल बाईसिकिल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

वित्तीय वक्तव्यों का हिस्सा बनने वाले नोट्स

(रु. हजारों की संख्या में)

3.c वर्ष 31 मार्च 2025 के अंत में प्रमोटरों द्वारा रखे गए शेयरों				के दौरान % परिवर्तन वर्ष
क्रम संख्या	प्रमोटर का नाम	शेयरों की संख्या	%कुल शेयरों का	
1	भारत के माननीय राष्ट्रपति (भारत सरकार की ओर से) [#]	56,546	100%	-
	कुल	56,546	100%	

शामिल 3 (तीन) इक्विटी शेयर नामांकित शेयर धारकों के रूप में और 1 (एक) आंशिक रूप से भुगतान किए गए शेयर शामिल हैं

वर्ष 31 मार्च 2024 के अंत में प्रमोटरों द्वारा रखे गए शेयरों				के दौरान % परिवर्तन वर्ष
क्रम संख्या	प्रमोटर का नाम	शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का	
1	भारत के माननीय राष्ट्रपति (भारत सरकार की ओर से) [#]	56,546	100%	-
	कुल	56,546	100%	

शामिल 3 (तीन) इक्विटी शेयर नामांकित शेयर धारकों के रूप में और 1 (एक) आंशिक रूप से भुगतान किए गए शेयर शामिल हैं



नॅशनल बाईसिकिल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

वित्तीय लेखों की बनने वाले नोट्स
नोट 4 : आरक्षितियाँ और अधिशेष

(रु. हजारों की संख्या में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को	31 मार्च, 2024 को
क) अधिशेष / शेष लाभ हानि का विवरण	रुपये	रुपये
आरम्भिक शेष	-71,98,582.09	-69,82,259.23
जमा लाभ/हानि वर्ष के लिए	-2,19,278.03	-2,16,322.86
कुल	-74,17,860.12	-71,98,582.09



नॅशनल बाईसिकिल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

वित्तिय लेखों की बनने वाले नोट्स

नोट : 5 दीर्घ कालिक उधार

(रु. हजारों की संख्या में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को	31 मार्च, 2024 को
	रूपये	रूपये
अन्य उधार और अग्रिम भारत सरकार से	73,77,788.86	71,68,732.97
कुल	73,77,788.86	71,68,732.97

नोट :- 1. मोरेटोरियम के अनुसार कंपनी की संपत्ति की बिक्री पर भारत सरकार से ऋण चुकाया जाना है सरकार द्वारा प्रदान की गई अवधि। चूंकि, कंपनी गैर-चालू के रूप में संपत्ति रखती है, ऋण हैं दीर्घकालिक उधार के रूप में वर्गीकृत।
2. पुस्तकों के अनुसार और भारत सरकार द्वारा पुष्टि की गई बकाया ऋण का विवरण नीचे दिया गया है :

(रु. हजारों की संख्या में)

विवरण	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
भारत सरकार के कुल बकाया ऋण	7,06,666.00	7,06,666.00
बकाया सामान्य ब्याज	4,54,485.83	4,54,485.83
दंडिक ब्याज	61,23,574.35	59,14,295.55
सामान्य ब्याज और दंडात्मक ब्याज उपार्जित लेकिन देय नहीं	93,062.69	93,285.60
कुल ऋण	73,77,788.86	71,68,732.97

नोट : ब्याज की दर 17.5% से 18.5% तक होती है और संशोधित / स्वीकृत स्वीकृति पत्र के आधार पर शुल्क लिया जाता है, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर स्पष्ट किया गया



नॅशनल बाईसिकिल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

वित्तीय लेखों की बनने वाले नोट्स

नोट : 6 अन्य चालू देयतायें

(रु. हजारों की संख्या में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को	31 मार्च, 2024 को
व्यापार देयतायें		
सरकारी गारंटी शुल्क देय	7,419.45	7,419.45
कुल	7,419.45	7,419.45

नोट 6.1 :

भारत सरकार का लंबे समय से बकाया दावारहित / अपुष्ट शेष। इसके अलावा, नोट 10 देखें भारत सरकार से प्राप्य लम्बी बकाया राशि।



नॅशनल बाईसिकिल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

वित्तीय विवरणों की बनने वाली नोट्स

नोट 7 : अल्प कालिक प्रावधान

(रु. हजारों की संख्या में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को	31 मार्च, 2024 को
(a) खर्च के लिए प्रावधान	114.70	112.35
(b) श्रम मुआवजे का प्रावधान :	-	
कुल	114.70	112.35



नॅशनल बाईसिकिल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

वित्तिय विवरणों की बनने वाली नोट्स
नोट 8A : स्थायी परिसम्पत्तियाँ (सकल)

(रु. हजारों की संख्या में)

मूर्त सम्पत्ति	सकल ब्लाक				
	1 एप्रैल 2024 को शेष	इस वर्ष के दौरान	निपटान	अन्य समायोजन	31 मार्च, 2025 को अंतशेष
अचल सम्पत्ति					
(a) भूमि					
फ्रीहोल्ड	-	-	-	-	-
पट्टे पर दिया	398.45	-	-	-	398.45
(b) भवन	-				
प्लैट	424.32	-	-	-	424.32
भवन	1,514.26	-	-	-	1,514.26
(c) सयन्त एवं मशीनरी	-				
स्वामित्व	42.27	-	-	-	42.27
(d) फर्निचर एवं फिटिंग	-				
स्वामित्व	1,155.16	-	-	-	1,155.16
कुल	3,534.45	-	-	-	3,534.45
गत वर्ष	3,534.45	-	-	-	3,534.45

वित्तिय विवरणों की बनने वाली नोट्स

नोट 8B : स्थायी परिसम्पत्तियाँ (ह्यास एवं शुद्ध)

(रु. हजारों की संख्या में)

मूर्त सम्पत्तियाँ	सकल मूल्य ह्यास और कमी				शुल्क ब्लाक	
	1 एप्रैल 2024 को शेष	इस वर्ष के लिए मूल्यह्यास समायोजना	संपत्ति के निपटान पर सफाया	31 मार्च, 2025 को शेष	31 मार्च, 2025 को शेष	31 मार्च, 2024 को अंतशेष
अचल सम्पत्ति						
(a) भूमि						
फ्रीहोल्ड	-	-	-	-	-	-
पट्टे पर दिया	241.61	4.43	-	246.04	152.41	156.84
(b) भवन	-	-	-	-	-	-
प्लैट	268.55	7.17	-	275.72	148.59	155.77
भवन	1,184.61	4.19	-	1,188.80	325.46	329.65
(c) सयन्त एवं मशीनरी						
स्वामित्व	41.73	-	-	41.73	0.54	0.54
(d) फर्निचर एवं फिटिंग						
स्वामित्व	1,090.11	0.95	-	1,091.06	64.10	65.99
	2,826.61	16.74	-	2,843.34	691.11	707.84
गत वर्ष	2,809.87	16.74	-	2,826.60	707.84	724.58

10.1 : पिछले वर्ष/अवधि के दौरान 98160.50 वर्ग फुट क्षेत्रफल वाली इमारत को ग्रेटर मुंबई नगर निगम द्वारा कुल क्षेत्रफल 110527 वर्ग फुट में से खतरनाक घोषित करते हुए ध्वस्त कर दिया गया था। सकल ब्लॉक से कटौती और भवन शीर्ष के तहत संबंधित मूल्यहास आनुपातिक कमी का प्रतिनिधित्व करता है ध्वस्त फैक्ट्री भवन की लागत।

10.2: 28 अप्रैल, 2023 को आयोजित बोर्ड बैठक के दौरान, निदेशक मंडल ने भारत सरकार, सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय के अनुमोदन के अधीन गाजियाबाद में स्थित लीजहोल्ड भूमि के लिए यूपीएसआईडीए से बायबैक प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की है। उसी को भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त होने पर केवल बिक्री के लिए आयोजित परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। वर्ष के दौरान उसी के लिए भारत सरकार से कोई संचार नहीं था।



नॅशनल बाईसिकिल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

वित्तीय विवरणों की बनने वाली नोट्स

नोट 9 : गैर मौजूदा निवेश

(रु. हजारों की संख्या में)

विवरण	31 मार्च 2025 को			31 मार्च 2024 को		
	उद्धरित	गैर उद्धृत	कुल	उद्धरित	गैर उद्धृत	कुल
अ) अन्य निवेश						
a) इक्विटी इंस्ट्रुमेंट्स में निवेश						
i) एक्सप्रो इंडिया लिमिटेड के 65 (पीवाई 65) इक्विटी शेयर 10 रुपये प्रति शेयर पूर्ण भुगतान बाजार मूल्य 31 मार्च 2025 को 1,096.40 रुपये (पीवाई 1103.85/-) प्रति शेयर	1.06		1.06	1.06		1.06
b) वरीयता शेयरों में निवेश						
(ii) 25 (PY:25) जियाजीराव कॉटन मिल्स लिमिटेड के 11% मोचनीय संचयी वरीयता शेयर, 100 रुपये प्रत्येक, पूर्णतः चुकता	-	2.60	2.60	-	2.60	2.60
c. टीटागढ़ रेल सिस्टम्स लिमिटेड (पूर्व में टीटागढ़ वैगन्स लिमिटेड के नाम से विख्यात) के 10 (मूल्य : शून्य) इक्विटी शेयर । 31 मार्च 2025 को बाजार मूल्य रु.1155 (मूल्य रु.918.10/-) प्रति शेयर	-		-			-
कुल - अन्य निवेश	1.06	2.60	3.66	1.06	2.60	3.66
कम : निवेश के मूल्य में कमी का प्रावधान			2.60			2.60
कुल			1.06			1.06
सूचीबद्ध और उद्धृत निवेश का कुल बाजार मूल्य			82.82			80.93

9.1 जियाजीराव कॉटन मिल्स लिमिटेड की स्थिति कंपनियों के रजिस्ट्रार की वेबसाइट पर परिसमापन के अधीन है, इसलिए कंपनी में निवेश के मूल्य के विरुद्ध प्रावधान किया गया है।

9.2 कंपनी के इक्विटी शेयर भौतिक रूप में रखे गए हैं।

9.3 टीटागढ़ वैगन्स प्राइवेट लिमिटेड के 10 इक्विटी शेयरों में निवेश शून्य मूल्य वाली कंपनी के नाम पर भौतिक शेयर के आधार पर मान्यता प्राप्त है।



नॅशनल बाईसिकिल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

वित्तीय विवरणों की बनने वाली नोट्स

नोट 10 : लम्बी अवधि के ऋण और अग्रिम

(रु. हजारों की संख्या में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को	31 मार्च, 2024 को
असुरक्षित, अच्छा माना जाता है		
भारत सरकार से प्राप्य	420.99	420.99
Refer note: 6.1 कुल	420.99	420.99

नोट 11 :- अन्य गैर चालू संपत्तियां

(रु. हजारों की संख्या में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को	31 मार्च, 2024 को
सुरक्षित जमा	93.18	93.18
कुल	93.18	93.18



नॅशनल बाईसिकिल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

वित्तिय विवरणों की बनने वाली नोट्स
नोट 12 : नकद और बैंक में जमा राशि

(रु. हजारों की संख्या में)

विवरण	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
	रु.	रु.
अ) नकद हाथ में	0.91	16.30
ब) बैंक में जमा		
।) चालू खाता में	367.68	312.47
सी) सावधि जमा में	21,397.91	28,397.91
कुल	21766.50	28,726.68



नॅशनल बाईसिकिल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

वित्तीय विवरणों की बनने वाली नोट्स

नोट 13 : अल्प कालिक ऋण एवं अग्रिम

(रु. हजारों की संख्या में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को	31 मार्च, 2024 को
पुर्वदत्त व्यय	37.60	33.97
कुल	37.60	33.97



नॅशनल बाईसिकिल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

वित्तीय विवरणों की बनने वाली नोट्स

नोट 14 : अन्य चालू परिसम्पत्तियाँ

(रु. हजारों की संख्या में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को	31 मार्च, 2024 को
(a) अर्जित		
(i) जमा राशियों पर अर्जित व्याज	234.87	78.89
(b) अन्य	-	-
(i) आयकर भुगतान	130.09	136.31
(ii) आयकर वापसी आने वाला	0	3,552.65
(iii) जीएसटी क्रेडिट	633.31	476.94
कुल	998.27	4,244.78



नॅशनल बाईसिकिल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

वित्तीय विवरणों की बनने वाली नोट्स

नोट 15 : अन्य आय

(रु. हजारों की संख्या में)

	विवरण	31 मार्च, 2025 को	31 मार्च, 2024 को
(a)	बैंक जमा पर व्याज	1,636.34	1,810.42
(b)	अन्य जमा पर व्याज	2.86	2.96
(c)	आयकर की वापसी पर व्याज	4.09	
(d)	विविध शेष वापिस लिखा गया		
(e)	डिविडेंड		0.16
	कुल	1,643.30	1,813.54



नॅशनल बाईसिकिल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

वित्तीय विवरणों की बनने वाली नोट्स

नोट 16 : वित्तीय लागत

(रु. हजारों की संख्या में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को	31 मार्च, 2024 को
(a) व्याज खर्च (I) उधारी	2,09,055.89	2,09,501.70
कुल	2,09,055.89	2,09,501.70

नोट : भारत सरकार द्वारा प्रदान की गयी गणना और पुष्टि के आधार पर की गयी।



नॅशनल बाईसिकिल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

वित्तीय विवरणों की बनने वाली नोट्स

नोट 17 : अन्य व्यय

(रु. हजारों की संख्या में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को	31 मार्च, 2024 को
विजली व्यय	211.62	195.43
पानी	63.23	61.20
किराया (पट्टापर)	56.60	33.25
मरम्मत (भवन)	293.72	466.48
मरम्मत (अन्य)	17.74	15.79
वीमा	3.11	3.56
दर एवं कर	2,502.09	2,542.72
टेलीफोन - खर्च	22.20	22.13
सुरक्षा मेन्टेनेंस व्यय	2,319.53	2,688.30
यात्रा और सवारी खर्च	11.70	178.79
छपाई एवं लेखन सामग्री	36.51	34.85
कानूनी और व्यवसायिक शुल्क	1,548.60	1,067.82
लेखा परीक्षकों को भुगतान :	-	-
लेखा परीक्षा शुल्क (सनदी लेखाकार)	35.00	35.00
वेब साईट खर्च	25.00	25.00
अन्य व्यय	1,149.41	1,247.63
कुल	8,296.06	8,617.95



नॅशनल बाईसिकिल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

वित्तीय लेखों की बनने वाले नोट्स

नोट 18 : लेखा पालिसी के अन्तर्गत प्रकट : (सतत)

(रु. हजारों की संख्या में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को	31 मार्च, 2024 को
प्रति शेयर उपार्जन बेसिक		
वर्ष के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (रूपए हजारों में)	2,19,278.03	-2,16,322.85
इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	56,546.00	56,546.00
प्रति शेयर बराबर मूल्य	1,000.00	1,000.00
निरंतर संचालन से प्रति शेयर आय - मूल	3,877.87	-3,825.61



नॅशनल बाईसिकिल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

19 अनुपात प्रकटीकरण

क्रमांक	विवरण	सूत्र	२०२४-२५	२०२३-२४	% भिन्नता (हानिकर (-)/ अनुकूल (+) परिवर्तन	टिप्पणियां
1	वर्तमान अनुपात	$\frac{\text{वर्तमान संपत्ति}}{\text{वर्तमान देनदारियां}}$	3.03	4.38	-30.93%	पिछले वर्ष का कर खर्च रहा है। वर्तमान वर्ष के लाभ के लिए शुल्क लिया गया
2	ऋण इक्विटी अनुपात	$\frac{\text{कुल ऋण}}{\text{कुल इक्विटी}}$	-1.00	-1.00	0%	लागू नहीं
3	ऋण सेवा कवरेज अनुपात	$\frac{\text{व्याज, कर और से पहले आय असाधारण आइटम}}{\text{व्याज व्यय + मूलधन अवधि के दौरान देय चुकौती}}$	-0.00	-0.00	0%	लागू नहीं
4	टैक्स के बाद इक्विटी	$\frac{\text{प्रॉफिट पर रिटर्न (के कारण मालिक) औसत नेट वर्ष}}{\text{कुल इक्विटी}}$	0.01	0.01	-24.40%	लागू नहीं
5	शुद्ध लाभ अनुपात	$\frac{\text{कर के बाद लाभ (असाधारण के बाद सामान) विक्री और सेवाओं का मूल्य + अन्य आय}}{\text{कुल इक्विटी}}$	-133.44	-119.28	11.87%	लागू नहीं
6	रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड	$\frac{\text{टैक्स के बाद शुद्ध लाभ + आस्थगित टैक्स व्यय/ (आय) + विल लागत (-) अन्य आय औसत पूंजी नियोजित*}}{\text{कुल इक्विटी}}$	-0.55	-0.29	89.55%	पिछले वर्ष का कर खर्च रहा है। वर्तमान वर्ष के लाभ के लिए शुल्क लिया गया
7	निवेश पर वापसी	$\frac{\text{अन्य आय (लाभांश को छोड़कर) औसत नकद, नकद समकक्ष और अन्य विपणन योग्य प्रतिभूति}}{\text{कुल इक्विटी}}$	0.02	0.01	62.72%	अल्पकालिक जमा से धन की निकासी के लिए परिचालन खर्चों को पूरा करना।

20. कंपनी के खिलाफ दावों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया :

- सरकार के अनुसार वेतनमान के गैर संशोधन के लिए श्रम मामले में एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ अपील याचिका। कार्यालय आदेश, दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित राशि प्रबंधन द्वारा मात्रात्मक नहीं है।
- कंपनी के खिलाफ 1 मामला जो 31 मार्च, 2025 को लंबित था, दिल्ली उच्च न्यायालय के साथ कार्यकर्ताओं को बहाल करने के लिए ट्रिब्यूनल वीड ऑर्डर दिनांक 17 अप्रैल, 2023 द्वारा तय किया गया है, जिसमें 17 अप्रैल, 2023 को आदेश कंपनी के पक्ष में तय किया गया है और कुछ भी देय नहीं है।

21. अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियां, व्यापार देय और दीर्घावधि ऋण और अग्रिम शीर्ष के अंतर्गत शेष राशि पुष्टि, समाधान और समायोजन, यदि कोई हो, के अधीन हैं।

22. कंपनी को बीमार औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम 1985 की धारा 3 (i) (o) के प्रावधानों के तहत एक बीमार औद्योगिक कंपनी के रूप में घोषित किया गया था। औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (BIFR) ने निष्कर्ष निकाला कि यह उचित और न्यायसंगत है कि कंपनी को समाप्त कर दिया जाए। हालांकि, उच्च न्यायालय के दिनांक 19 दिसंबर 2019 के आदेश के अनुसार, बीआईएफआर द्वारा दिनांक 20 दिसंबर, 1993 को परिसमापन का आदेश दिया गया था। 1992 के 5 को वापस बुला लिया गया। कंपनी नेट गोइंग-कंसर्न की मौलिक लेखांकन धारणा के आधार पर खाते तैयार किए हैं :

- कंपनी अपने अल्पकालिक दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नकदी और बैंक शेष रखती है।

नॅशनल बाईसिकिल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

b) लंबी अवधि की देनदारियों के संबंध में जो भारत सरकार द्वारा अधिस्थगन के अधीन हैं और केवल कंपनी की संपत्ति की बिक्री पर देय / देय हैं, प्रबंधन ऐसी संपत्तियों की बिक्री आय से इस तरह की लंबी अवधि की देनदारियों को पूरा करने के लिए आश्वस्त है। बेचा। कंपनी द्वारा प्राप्त मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर वसूली योग्य मूल्य इसकी दीर्घकालिक देनदारियों को चुकाने के लिए पर्याप्त है। संपत्ति का मूल्य रुपये के बराबर है। रु.1013 करोड़, कलेक्टर गाजियाबाद के कार्यालय द्वारा मूल्यांकित मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर रु. 63 करोड़ दिनांक 22.06.2018, कार्यालय कलेक्टर, मुंबई रु. वर्ली फैक्ट्री के लिए रु.935 करोड़ और रु. 1 मुंबई में आवासीय फ्लैट के रु. 15 करोड़ क्रमशः दिनांक 17.06.2020 और 19.03.2018 धारित गैर-चालू परिसंपत्तियों के वसूली योग्य मूल्य, भारत सरकार के समर्थन को ध्यान में रखते हुए, कंपनी ने चालू चिंता के आधार पर वित्तीय विवरण तैयार किए हैं और यह कि संपत्ति और देनदारियों के वहन मूल्य के लिए कोई समायोजन आवश्यक नहीं माना जाता है।

23. प्रबंधन की राय में, वर्तमान संपत्तियां, दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में कम से कम उस राशि के बराबर हैं जिस पर उन्हें बताया गया है और सभी ज्ञात देनदारियों के लिए प्रावधान पर्याप्त है और अधिक नहीं है आवश्यकताओं की।

24. प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम को कोई राशि देय नहीं है MSME अधिनियम, 2006 के अनुसार उद्यम।

25. कंपनी ने अग्रेषित व्यावसायिक घाटे के रूप में आस्थगित कर संपत्ति की है, भविष्य के व्यापार लाभ की उचित निश्चितता के अभाव में, कंपनी ने आस्थगित कर संपत्ति को मान्यता नहीं दी है।

26. प्रबंधन द्वारा संबंधित पार्टियों के साथ कोई रिपोर्ट करने योग्य लेन-देन की पहचान नहीं की गई है, जिसे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी संबंधित पार्टियों लेखांकन मानक 18 के अनुसार खुलासा किया जाना आवश्यक है।

27. अनुसूची III में संशोधन कि आवश्यकताओं का अनुपालन करने के लिए पिछले वर्ष के आंकड़ों को वर्तमान वर्ष के वर्गीकरण/प्रकटीकरण के अनुरूप करने के लिए आवश्यक होने पर पुनर्समूहित/पुनः वर्गीकृत किया गया है।

28. आंकड़ों को निकटतम हजार रुपये तक पूर्णांकित किया गया है।

29. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के अनुसार अतिरिक्त नियामक प्रकटीकरण

(9) कंपनी के पास कोई निवेश संपत्ति नहीं है।

(2) कंपनी की लेखांकन नीति के अनुसार, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को ऐतिहासिक लागत (कम संचित मूल्यहास और हानि, यदि कोई हो) पर ले जाया जाता है, इसलिए अनुसूची III (संशोधित) की अतिरिक्त नियामक जानकारी के अनुसार पुनर्मूल्यांकन संबंधी प्रकटीकरण आवश्यक है। कंपनी अधिनियम, लागू नहीं है।

(3) कंपनियों ने संबंधित पार्टियों को कोई ऋण नहीं दिया है।



नेशनल बाईसिकिल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

- (४) बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या लंबित नहीं है।
- (५) कंपनी के पास बैंक से स्वीकृत कोई सुविधा नहीं है
- (६) कंपनी को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जानबूझकर चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।
- (७) कंपनी की भारत में या भारत के बाहर कोई सहायक कंपनी नहीं है
- (८) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 237 के संदर्भ में सक्षम प्राधिकारी द्वारा व्यवस्था की किसी भी योजना को मंजूरी नहीं दी गई है।
- (९) कंपनी ने विदेशी संस्थाओं (मध्यस्थों) सहित किसी भी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) या इकाई (ओं) को इस समझ के साथ धनराशि उन्नत या उधार या निवेश नहीं की है कि मध्यस्थ :
- (ए) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी (अंतिम लाभार्थियों) द्वारा या उसकी ओर से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को किसी भी तरीके से उधार देना या निवेश करना या
- (बी) अंतिम लाभार्थी को या उसकी ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या समान प्रदान करना
- (१०) कंपनी को विदेशी संस्थाओं (फंडिंग पार्टी) सहित किसी भी व्यक्ति (व्यक्तियों) या इकाई (ओं) से कोई फंड प्राप्त नहीं हुआ है (चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा) कि कंपनी :
- (ए) फंडिंग पार्टी (अंतिम लाभार्थियों) द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार या निवेश करें या
- (बी) अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या ऐसी ही कोई चीज़ प्रदान करेगा
- (११) कंपनी ने किसी भी क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल करेंसी लेनदेन में काम नहीं किया है
- (१२) वर्ष के दौरान कंपनी ने आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर निर्धारण में खातों की पुस्तकों में मान्यता प्राप्त आय के अलावा किसी भी आय का खुलासा या आत्मसमर्पण नहीं किया है।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

भूषण खोत एंड कंपनी के लिए

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

एफआर संख्या : 116888W

हस्ता/-
भूषण खोत

पार्टनर

एम. संख्या : 101858

दिनांक : 27.05.2025

स्थान : मुंबई

यूडीआईएन : 25101858BMLWMS6250

हस्ता/-

विनायक जोगलेकर

अध्यक्ष और एमडी

हस्ता/-

श्री अरूण कुमार दीवान

निदेशक

हस्ता/-

नरेश कुमार

निदेशक